▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

कार्तिक—मार्गशीर्ष 2077, नवंबर 2020

भारत के लिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के मायने

स्वदेशी गतिविधियां

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष

समापन कार्यक्रम

सचित्र झलक

बरेली, प. उत्तर प्रदेश

नागपूर, विदर्भ

पीलीभीत, उत्तर प्रदेश

शाजापुर, मालवा

उज्जैन, मालवा

अमरोहा, उ.प्र.

ब्रह्मपुर, उड़ीसा

सी.बी.यू., भिवानी, हरियाणा

देवास, मालवा

शाजापुर, मालवा

सूरत, गुजरात

उज्जैन, मालवा

देहरादून, उत्तराखंड

करनाल, हरियाणा

गाजीपुर, पूर्वी उ.प्र.

बरेली, प.उ.प्र.

शाजापुर, मालवा

किश्तवाड, जम्मू

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–28, अंक–11
कार्तिक–मार्गशीर्ष 2077 नवंबर 2020

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6

भारत के लिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के मायने

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा
बदलाव से बदलेगा अमरीका या बरकरार रहेगी चुनौतियां ..... अनिल तिवारी

10 विकास यात्रा
स्वदेशी जागरण मंच के 29 साल, बेमिसाल ..... स्वदेशी संवाद

12 अतीत के पन्नों से
स्वदेशी–संस्कृति के लिए धर्म संघर्ष ..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

15 विश्लेषण
स्वदेशी से ही देश की समृद्धि संभव ..... अनिल जावलेकर

18 विश्व
इमरान और इर्दोगन डाल रहे हैं आग में घी ..... विक्रम उपाध्याय

20 कृषि
बहुराष्ट्रीय कृषि व खाद्य कंपनियों से सावधानी जरूरी! ..... भारत डोगरा

22 आर्थिकी
निरन्तर मजबूत होती अर्थव्यवस्था ..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

24 विचार
आयात–कर में वृद्धि से खुलेगा स्वदेशी उद्योगों का रास्ता ..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

26 खेतीबारी
सब्जियों का भी तय हो समर्थन मूल्य ..... देविन्दर शर्मा

28 आजकल
आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है आरसेप से दूरी ..... स्वदेशी संवाद

30 मुद्दा
रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण की कानूनी जटिलताएँ ..... विनोद जौहरी

32 जीएम फसलें
जीएम फसलें: वैज्ञानिकता, विवाद और समाधान ..... डॉ. रेखा भट्ट

34 स्वदेश गतिविधि
स्वदेशी जागरण मंच ने लक्ष्मी विलास बैंक के विलय पर समीक्षा की मांग की

पाठकनामा

लव जिहाद कानून का दायरा बढ़ाना होगा

संपादक महोदय,

मैं स्वदेशी पत्रिका का नियमित पाठक हूं। अपने इस पत्र के माध्यम से मैं कई राज्यों द्वारा लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे देश में शादी को लेकर पहले ही कई तरह के कानून विद्यमान हैं। हाल के दिनों में कुछ लोगों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी है कि कुछ लोग केवल शादी करने के लिए जानबूझकर अपने पार्टनर का धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसी को लव जिहाद की संज्ञा दी गई है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि कोई भी लड़का या लड़की केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2014 के एक फैसले में कहा है कि किसी भी धर्म से इस्लाम धर्म में जाने के लिए इस्लाम धर्म के प्रति गहरी आस्था होनी चाहिए। अपने मतलब के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो या किसी दावे और अधिकार के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा हो, तो वह वैध नहीं है। लिली थॉमस से संबंधित विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी और धर्म के व्यक्ति का इस्लाम में धर्मांतरण, आस्था और विश्वास के आधार पर होना चाहिए। उसके बिना अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो यह वैध नहीं है।

भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सकारात्मक वैचारिक सोच से किसी भी जाति समुदाय धर्म और रूप रंग की लड़की के साथ शादी निकाह कर सकता है। बशर्ते दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्ती और दबाव ना हो। यदि ऐसा होता है तो कानून बनाने के लिए सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। 2018 की आईएएस टॉपर टीना डाबी ने अपने ही सहपाठी मुस्लिम लड़के अतहर के साथ अपनी मर्जी से शादी की। अब उसने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई है। ऐसे मामलों में लव जिहाद कानून क्या करेगा।

केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन पहले से ही अवैध करार दिया जा चुका है। ऐसे में राज्य सरकारों को लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने से पहले टीना डाबी जैसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए कानून को अंतिम रूप देना चाहिए।

संजय कुमार, बवाना, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,

नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

दत्तोपंत ठेंगडी जी की दृष्टि विश्वव्यापी थी। वे किसी खास जन–भूमि, समय विशेष के लिए नहीं थे, इसलिए सनातन धर्म आधारित उनकी दृष्टि को दुनिया भर के लोग ग्रहण कर रहे है। उनकी स्पष्ट राय थी कि हमें विश्व विजेता नहीं, बल्कि वैश्विक सोंच में परिवर्तन लाने वाला बनना है।

डॉ. मोहन भागवत
(सरसंघचालक, *राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ*)

मैं महान दत्तोपंत ठेंगडी जी को उनकी जन्म शताब्दी के विशेष अवसर पर नमन करता हूं। उन्हें राष्ट्रीय प्रगति और हमारे मेहनती श्रमिकों के कल्याण के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जो देश की आर्थिक वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

नरेन्द्र मोदी
(प्रधानमंत्री, भारत)

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने साम्यवाद और पूंजीवाद की दोनों विचारधाराओं को, भौतिकवादी विचार दर्शन कह कर अस्वीकार करते हुए, हिन्दू विचार दर्शन के आधार पर ''थर्ड वे'' का प्रवर्तन किया

डॉ. अश्वनी महाजन
(अ.भा.सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)

संपादकीय

आरसीईपी से बाहर निकल, बड़े संकट से बचा भारत

हाल ही में जापान, चीन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यापार ब्लॉक से पिछले साल ही भारत बाहर आ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 4 नवंबर को आरसीईपी समझौते में शामिल होने से इंकार कर दिया था। यदि भारत इस समझौते में शामिल हो जाता तो उसे इन मुल्कों से 74 से 92 प्रतिशत उत्पाद शून्य टैरिफ पर आयात करने पड़ते। देश में इस समझौते का विनाशकारी परिणाम होने की आशंका के कारण प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ा। क्योंकि इस समझौते का विनिर्माण क्षेत्र, डेयरी, कृषि, फार्मास्यूटिकल पेटेंट कानून और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के माध्यम से विध्वंसकारी परिणाम हो सकता था।

कई लोगों के द्वारा यह धारणा बनाई जा रही है कि आरसीईपी से बाहर होने के कारण भारत इस व्यापार ब्लॉक के देशों से पूरी तरह से कट जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि इन 15 देशों में से 10 देश आसियान के हैं और आसियान देशों के साथ हमारा पहले से ही एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह बात अलग है कि इस आसियान समझौते के बाद इन देशों के साथ हमारे व्यापार घाटे में ढाई गुणा से भी ज्यादा वृद्धि हो गई है। इस बढ़ते व्यापार घाटे के कई कारण है, जिसमें से एक कारण यह भी है कि इस समझौते का गलत इस्तेमाल करते हुए चीन इन देशों के माध्यम से भारत को भारी मात्रा में माल निर्यात कर रहा है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारत के हितों के सर्वथा खिलाफ है और उसकी पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। आश्चर्य का विषय यह रहा कि इस एफटीए में समीक्षा का प्रावधान ही नहीं था। लेकिन राहत की बात है कि वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रयासों से आसियान देशों ने हाल ही में एफटीए की समीक्षा के लिए सहमति दे दी।

जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी हमारे पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते हैं। इन मुक्त व्यापार समझौतों के बाद भी हमारा इन देशों के साथ भी व्यापार घाटा ढाई से तीन गुणा बढ़ गया। यानि कह सकते हैं कि अभी तक इन 12 मुल्कों के साथ जो एफटीए हुए हैं, उसका भारी खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा है। देश के कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में यह भय व्याप्त हो गया था कि यदि अब हमने चीन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल करते हुए अधिक व्यापक व्यापार समझौता किया तो हमारी अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा नुकसान होगा।

यदि भारत ने आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर किए होते, तो हमारा डेयरी उद्योग समाप्त ही हो जाता। दूध पाउडर की हमारी घरेलू कीमत 290 रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले, न्यूजीलैंड से यह 180 रुपये प्रति किलो आयात होता। अगर इतना सस्ता दूध आता है, तो लोग भारत में गायों को पालना ही बंद कर देंगे। इसी तरह, यह समझौता कृषि क्षेत्र को भी बुरी तरह से प्रभावित करता। जब आरसीईपी की वार्ता चल रही थी, हर उद्योग संगठन इस समझौते को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा था। जब बिना आरसीईपी समझौते के ही चीन ने भारतीय उद्योगों पर कहर ढा रखा है, तो आरसीईपी समझौते में निहित 74 प्रतिशत चीनी उत्पादों को शून्य शुल्क पर चीन से आयात करने की अनुमति हम कैसे दे सकते हैं?

जापान ने पहले घोषणा की थी कि यदि भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होता है, तो वो भी शामिल नहीं होगा। पर अमेरिका में जो बाईडेन के चुनाव के बाद, जापान का रुख बदला गया। हालांकि, विशेषज्ञ आरसीईपी के मंच पर हाल के घटनाक्रमों को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सदस्यों के दृष्टिकोण से अलग दिखता है, खासकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के। ये देश चीन को, उसके विस्तारवादी मंसूबों से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि चीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का भी अनादर करता रहा है।

विशेषज्ञों की राय है कि आरसीईपी से चीन को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जबकि अन्य देशों को अल्पकालिक तौर पर कुछ फायदा हो सकता है लेकिन ये देश चीन के विस्तारवादीवादी मंसूबों से बचे नहीं रह सकते। सवाल यह है कि शेष साझेदार देश चीन के आक्रामक रवैये से कैसे बचेंगे? जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यह आत्महत्या जैसा प्रयास प्रतीत होता है। यह समझौता इसलिएभी अजीब है कि जब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो रही है, 14 देशों ने चीन को फायदा देते हुए उसके साथ आर्थिक संबंध गहरे किए हैं।इन देशों में शायद यह धारणा है कि ये देश चीनी बाजारों में पैर जमा सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन में लोहे का पर्दा सा है। कोई नहीं जानता कि उनके उत्पादों की लागत क्या है? चीनी सरकार द्वारा उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी कितनी है? कैसे चीनी सरकार अपने उद्योगों को दुनिया के बाजारों पर कब्जा जमाने के लिए मदद करती है? उल्लेखनीय है कि विभिन्न देश शेष विश्व से आने वाले आयातों पर कई गैर टैरिफ अवरोध भी लगाते हैं। चीन उन देशों में शामिल है जो अधिकतम गैर टैरिफ अवरोध लगाते हैं। हमें खुद को उनके लिए बाजार क्यों बनने देना चाहिए? हम अपने लिए उत्पादन क्यों नहीं करते और अपने लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते? भारत ने बहुत दबाव के बावजूद आरसीईपी से बाहर निकलने का निर्णय लिया है।

हर देश अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचता है। ज्ञात हो कि वैश्वीकरण, एफटीए और डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय समझौतों के कारण, हमारा विनिर्माण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम विनिर्माण क्षेत्र में पहले ही बहुत पिछड़ चुके हैं। देश अपने विनिर्माण, डेयरी और कृषि को और नष्ट नहीं कर सकता। यदि हम आरसीईपी स्वीकार करते हैं, तो हमें अपनी आत्मनिर्भरता की नीति को छोड़ना होगा, क्योंकि एक तरफ घरेलू उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भरता, और दूसरी तरफ टैरिफ से मुक्त आयात साथ साथ नहीं चल सकती।

भारत के लिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के मायने

शायद अमरीकी चुनावों को लेकर भारत में इस बार पहले से कहीं ज़्यादा और उत्सुकता बनी हुई थी। कारण था, अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प अपने बड़बोलेपन, लेकिन साथ ही अपने बिंदास अंदाज के लिए लगातार समाचारों में बने रहे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की निजी कैमिस्ट्री भी समाचारों में स्थान पाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाउडी मोदी रैली में मोदी के साथ हाथों में हाथ डालकर भारतीयों का अभिवादन करना अभी भी भारतीयों के मस्तिष्क पटल पर बना हुआ है

हालाँकि राजनीति में अपेक्षाकृत कम अनुभवी डोनल्ड ट्रंप, अनुभवी हिलेरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति पद पर पहुँचे थे और उस दृष्टि से 78 वर्षीय जोसेफ बाइडेन वर्ष 1973 से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनका राजनीतिक जीवन 47 वर्ष का है। इस बीच वे बराक ओबामा के कार्यकाल में वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऐसे में बाइडेन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की अहम भूमिका के बारे में भलीभाँति परिचित हैं। अमरीका के भारत के साथ संबंध काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। शीत युद्ध (कोल्ड वार) के दिनों में भारत की तटस्थ नीति अमेरिका को कभी रास नहीं आयी। उन दिनों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अमरीका के संबंध अधिक दोस्ताना हुआ करते थे। भारत पाक युद्ध के दौरान अमरीका द्वारा भारत के विरुद्ध वीटो का उपयोग भारत कभी भूला नहीं। लेकिन उस समय के बाद भारत और दुनिया में काफी बदलाव हो चुके हैं। इस बीच सोवियत संघ के विघटन और भूमंडलीकरण के विस्तार में जाने अनजाने अमेरिका को भारत का भरपूर साथ मिला। पिछले लगभग तीन दशकों में प्रौद्योगिकी कम्पनियों, ई–कामर्स कंपनियों, फार्मा कंपनियों समेत अमरीकी कार्पोरेट का भारत में खासा विस्तार हुआ है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार इसी काल में बना (हालाँकि चीन से भारी आयातों के चलते पिछले कुछ सालों से यह स्थान चीन ने ले लिया था)। आज बड़ी संख्या में भारतीय लोग

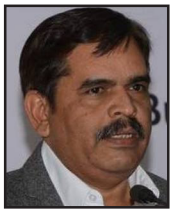

दुनिया की उभरती हुई शक्तियों में से भारत सबसे अधिक विश्वसनीय दोस्त रह सकता है। इसलिए भारत के आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित करते हुए भारत और अमरीका के बीच आर्थिक सहयोग, अमेरिका और भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए भी मंगलकारी होगा।

– डॉ. अश्वनी महाजन

अमेरिकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन में अहम भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं।

भारत, अमेरिका और विश्व के संबंधों की बात करें तो पिछले काफी समय से अमेरिका का पाकिस्तान से काफी हद तक मोहभंग हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकवाद में डूबे होने के कारण अमेरिका की पाकिस्तान से दूरी और भारत के साथ नजदीकी बनती गई। आतंकवाद में लिप्तता के कारण पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की 'ग्रे सूची'में है और उसे कभी भी 'ब्लैक सूची' में डाला जा सकता है। साथ ही साथ पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आती जा रही है। ऐसे में अमरीकी प्रशासन में बदलाव के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में गर्माहट आने की दूर–दूर तक कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक चीन का सवाल है डॉनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही चीन के साथ युद्ध छेड़ रखा था। जिसने पिछले दो सालों से व्यापार युद्ध का रूप ले लिया था। पिछले 2 दशकों से अपनी आक्रामक आर्थिक नीति, और विशेष तौर पर व्यापार नीति के चलते, चीन ने अमेरिका को आर्थिक चुनौती दे रखी थी। आम तौर पर यह माना जा रहा है कि बायडन चीन के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं, लेकिन समझना होगा कि पिछले काफी समय से अमरीका के साथ इसके तल्ख संबंध चल रहे हैं। जिस प्रकार से चीन की विस्तारवादी नीति के कारण, प्रशांत महासागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिछले कुछ समय से संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास चल रहे हैं और उन्हें विराम देना संभव नहीं होगा। क्योंकि ऐसा करना अमरीका एक महाशक्ति की छवि के विरुद्ध होगा। दूसरे जहां ट्रंप अमरीका को फिर से महान बनाने की बात करते रहे हैं, बाइडेन अमरीकी खरीदो (बाय अमेरिकन) के

भारत, अमेरिका और विश्व के संबंधों की बात करें तो पिछले काफी समय से अमेरिका का पाकिस्तान से काफी हद तक मोहभंग हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकवाद में डूबे होने के कारण अमेरिका की पाकिस्तान से दूरी और भारत के साथ नजदीकी बनती गई।

पक्षधर रहे हैं। इसलिए चीन के खिलाफ व्यापार प्रतिबंधों को विराम दिया जाना भी व्यवहारिक नहीं होगा।

भारत के साथ व्यापार

नहीं भूलना चाहिए कि डॉनाल्ड ट्रंप चीन के खलिाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सामरिक एवं कूटनीतिक दृष्टि से भारत के अधिक नजदीक दिखते थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वे भारतीय हितों के खिलाफ लगातार फैसले लेते रहे। व्यापार युद्ध में उनका पहला निशाना चीन ही था, लेकिन उसी क्रम में उन्होंने पहले भारत से आने वाले आयातों पर आयात शुल्क भी बढ़ाया और बाद में तो कई दशकों से भारत को अमरीका द्वारा प्रदत्त, अन्य देशों से कम आयात शुल्क पर प्राथमिकता के आधार पर आयात की व्यवस्था, यानी जनरल ड्रम ऑफ प्रेफ्रेंसिस (जीएसपी) को भी समाप्त कर दिया। यही नहीं अमरीका में काम कर रहे इंजीनियरों और अन्य कार्मिकों के लिए भी वीसा नियमों को प्रतिकूल बनाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। जिसके चलते अमेरिका में भारतीयों पर अनिश्चितता की तलवार लटकने लगी थी। साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनावों से पहले ही अमरीकी प्रशासन भारत पर यह दबाव भी बना रहा था कि भारत उनसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करे। अमरीका की इस बाबत शर्तें भारतीय हितों के अनुकूल भी नहीं थी, और समझौता नहीं हो पाया था।

समझना होगा कि बाइडेन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी समस्याओं का निदान है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण और मौतों के चलते एक ओर स्वास्थ्य संकट और दूसरी और आर्थिक संकटों से पार पाना बाइडेन की पहली प्राथमिकता होगी। इसके अतिरिक्त हाल ही में अमरीका में नस्ली दंगों के कारण भी समाज में विघटन उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए भी बाइडेन को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अमरीका एक महाशक्ति की छवि को पहले समय से काफी धक्का लगा है, क्योंकि डॉनल्ड ट्रम्प यूरोप एवं अपने अन्य सहयोगी और मित्र देशों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में असफल रहे। इसके चलते अमरीका की छवि और शक्ति दोनों ही प्रभावित हुए हैं। महामारी के चलते भूमंडलीकरण के प्रति दुनिया का मोह भी भंग हुआ है, जिसका नुकसान चीन को ही नहीं अमरीका को भी उठाना पड़ेगा। आने वाले समय में अमरीका को अपनी महाशक्ति की छवि को पुनर्स्थापित करने में बाइडेन कितना सफल होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अमरीकी समस्याओं का कितना निदान कर पाते हैं। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि दुनिया की उभरती हुई शक्तियों में से भारत सबसे अधिक विश्वसनीय दोस्त रह सकता है। इसलिए भारत के आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित करते हुए भारत और अमरीका के बीच आर्थिक सहयोग, अमेरिका और भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए भी मंगलकारी होगा। ❑❑

बदलाव से बदलेगा अमरीका या बरकरार रहेगी चुनौतियां

अमेरिकी मतदाताओं ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के अधिकांश नेताओं ने बाईडेन को जीत की बधाई भेज दी है। हालांकि फाइनल नतीजों के आने और ट्रंप के अड़ियल रुख से सत्ता के हस्तांतरण पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। लेकिन नए विश्व राजनीतिक समीकरण पर बातचीत ही शुरू हो चुकी है। कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में अमेरिका की भूमिका क्या होगी? तमाम संकटों से गुजर रही दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे उबरेगी? 30 साल पहले बने भूमंडलीकरण का क्या होगा? भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता कैसा होगा? मोदी और ट्रंप के बीच जो तालमेल बना था उसकी तासीर बाईडेन के कार्यकाल में भी दिखेगी, अथवा रिश्तों में उतार–चढ़ाव आएगा?

अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य का कुहासा लगभग छंट चुका है। अमेरिकी जनता ने जो बाईडेन के हाथ में बागडोर दे दी है, अगले 50 दिनों के अंदर अमेरिका में बाईडेन सरकार बकायदा काम शुरू कर देगी। भारत की नजर बाईडेन और उनकी टीम पर होगी। अहम मसलों पर उनके रूख को देख–परख ही आगे के रिश्ते तय होंगे। भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की होगी, जो पिछले 2 सालों से कुछ मसलों पर गतिरोध के कारण अटकी हुई है। नए दौर में बातचीत नए सिरे से होगी, इसलिए दोनों देशों के बीच यह एक चुनौतीपूर्ण होगा।

भारत कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान और कश्मीर पर, अमेरिकी रुख पर, पैनी नजर रखेगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पाकिस्तान और कश्मीर पर क्या स्टैंड रहता है, इस पर संबंधों का दारोमदार होगा। मालूम हो कि ओबामा और ट्रंप पाकिस्तान और कश्मीर के मसले पर अब तक भारत के रुख से सहमत रहे हैं, लेकिन बाईडेन प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रवैया अख्तियार करता है, यह दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे भारत के छात्रों के लिए नई सरकार की दरियादिली भी कसौटी पर कसी जाएगी, क्योंकि खुद को भारत का सबसे बड़ा दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जाने से पहले कई अन्य देशों के छात्रों की तरह भारतीय छात्रों को भी वापसी का टिकट पकड़ाने का इंतजाम कर दिया था। भारत–अमेरिका के बीच हाल के सालों में एच–1बी वीजा गतिरोध का बड़ा मसला रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इस मसले में कई एक शक्ति की थी, अभी भी ढ़ेरों ऐसे कानून प्रभावी हैं जो भारतीय हितों के पूरी तरह प्रतिकूल हैं। हालांकि नया–नया चुनकर आए बाईडेन की टीम ने भरोसा दिलाया है कि भारतीय छात्रों की दिक्कतें दूर की जाएंगी।

इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अमेरिका के अलग होने और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का नेतृत्व हासिल करने के बाद चीन अपेक्षाकृत अपने लिए अधिक स्पेस बनाने में सफल हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बाईडेन अमेरिका को किस रास्ते पर लेकर चलेंगे? क्या ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या ओबामा युग की ओर पलटेगे? सवाल यह भी है कि बाईडेन की जो भी रिसेट या फॉरवर्ड पालिसी बनती है, उसमें भारत के लिए कितनी और किस प्रकार की जगह होगी? दुनिया के कई एक आर्थिक विचारकों ने माना है कि विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन पूर्व की ओर झुकेगा, क्योंकि पश्चिम की साख धीरे–धीरे सूख रही है। वाकई अगर ऐसा है तो इसके लिए ट्रंप की भूमिका

डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जाने से पहले कई अन्य देशों के छात्रों की तरह भारतीय छात्रों को भी वापसी का टिकट पकड़ाने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन नया–नया चुनकर आए बाईडेन की टीम ने भरोसा दिलाया है कि भारतीय छात्रों की दिक्कतें दूर की जाएंगी।
– अनिल तिवारी

को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मालूम हो कि ट्रंप ने अमेरिका को आरसीईपी से बाहर कर एशिया प्रशांत के आर्थिक गलियारे में चीन को छुट्टा छोड़ दिया था। यह एक ऐसा बाजार क्षेत्र है जो वैश्विक जीडीपी में एक तिहाई से अधिक का हिस्सा रखता है। ट्रंप एक तरफ चीन के साथ व्यापार युद्ध लड़ते रहे, तो दूसरी तरफ उन्होंने चीन के साथ मिलकर 35 बिलियन डालर के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव फंड की स्थापना कर दी, जो चीन के लिए एक सामरिक हथियार की तरह है। यह एक ऐसा मसला है जो शक्ति संतुलन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है।

बदली हुई दुनिया में तीन जरूरी शक्ति केंद्र हैं– वाशिंगटन, बीजिंग मास्को। प्रतिस्पर्धा वाशिंगटन और बीजिंग के बीच है। ट्रेड वार को लेकर दोनों आमने–सामने हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ ट्रेड वार ही है या इससे कुछ और भी शामिल है। निश्चित रूप से यह एकल नहीं है, इसमें जियो स्ट्रेटजी, वार पॉलिटिक्स के साथ–साथ चीन की विस्तारवादी एकाधिकारवाद और नव–साम्राज्यवाद संबंधी महत्वकांक्षाए भी शामिल हैं। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो स्थिति साफ हो जाएगी और इसका सीधा प्रभाव वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर होगा। वर्ष 2008 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आए संकट के साथ इसकी शुरुआत हो गई थी। उस समय भी चर्चा थी कि विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका से फिसलकर चीन की ओर जा सकता है। इसके बाद ओबामा का कार्यकाल आया, जिसमें अमेरिका को नए ट्रैक पर डाला, जो वहां की मूल प्रवृति से हटकर था। इसका नतीजा था चीन को अपने विनिर्माण उद्योग के साथ साथ सैन्य उद्योग को भी मजबूत करने का मौका मिल गया। इस दौरान बीजिंग और मास्को के बीच रिश्ते प्रगाढ़ हुए और इन्होंने अपने प्रभाव को दमिश्क, तेहरान, इस्लामाबाद एवं पियोंगयांग आदि तक विस्तार देने में सफलता हासिल की।

जहां तक भारत के साथ संबंधों की बात है तो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती कुछ अधिक ही फली–फूली, परिणाम यह हुआ कि भारत अमेरिका का स्वाभाविक आर्थिक साझेदारी के साथ–साथ सैन्य साझेदार बनने में सफल रहा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस सुनहरे दौर में भी दोनों देशों के बीच यदा–कदा टकराव की स्थिति बनी रही। ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को जब एकतरफा निरस्त किया था तो उसके साथ ही भारत पर ईरान से कारोबार को बंद करने का प्रभावी दबाव भी बनाया था। उस समय ट्रंप प्रशासन ने जिन 8 देशों को ईरान से रिश्ते तोड़ने के लिए जबरदस्त अल्टीमेटम दिया था, उसमें भारत का नाम भी शामिल था। भारत को जीएसपी से भी बाहर कर दिया गया था। जिसका लाभ भारत को वर्ष 1976 से ही लगातार मिलता रहा था। भारत अमेरिका के साथ एक अहम व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर होने की आस लगाए बैठा रहा, लेकिन ट्रंप भारत पर अमेरिका की व्यापार नीतियों का गलत फायदा उठाने, नीतियों का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। कश्मीर मसले को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कश्मीर में संचार पर से पाबंदी हटाने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और कश्मीरियों के धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात की थी। इस पर भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे आंतरिक मामलों पर कड़ा हस्तक्षेप बताया था।

यकीनन कश्मीर में मानवाधिकार धारा–370, सीएए जैसे कई एक आंतरिक मसलों पर नए राष्ट्रपति, जो बाईडेन और उनकी टीम का रुख भारत के स्थापित मानदंडों से भिन्न रहा है तथा अन्य कई मसलों पर भी हाल के वर्षों में भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंध कुछ खट्टे और कुछ मीठे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसके अहम होने के संकेत मिल रहे हैं। मोदी–ट्रंप युग में दोनों देशों के रिश्ते जिन ऊचांईयों तक पहुंचे थे, उसके बाद जो बाईडेन के जीत जाने से दोस्ती को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश के बाद बाईडेन की ओर से जिस तरह गर्मजोशी के साथ दोनों देशों के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने तथा और अधिक विस्तार देने वाला बयान जारी हुआ है, उसने ऐसी आशंकाओं को काफी हद तक दूर कर दिया है। सत्ता बदलाव से दोनों देशों के बीच आर्थिक कारोबार बढ़ेगा। आईटी सेक्टर के लिए अमेरिकी दरवाजे और खुलेंगे तथा इमीग्रेशन की पेंच भी ढीले होंगे। सामरिक मोर्चे पर भी साझेदारी को विस्तार मिलने की संभावना है।❑❑

भारतीय मूल की महिला बनी अमरीका में उपराष्ट्रपति

भारतीय मूल की पहली महिला तथा पहली अश्वेत अमरीकी **कमला हैरिस** अमेरिकी की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। हैरिस की मां श्यामला गोपालन मूल रूप से चेन्नई की और पिता डोनाल्ड हरीश जमैका मूल के हैं। हरीश अपनी मां के साथ भारत आती रहती हैं। अपनी आत्मकथा में वह लिखती हैं कि वह अपने मामा और दो मोतियों के नजदीक रही हैं। उनसे मिलने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा भी की है और इसकी मां का वर्ष 2009 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया था। ❑

स्वदेशी जागरण मंच के *29* साल, बेमिसाल
'लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया'

'हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया', मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां स्वदेशी जागरण मंच के विकास यात्रा पर हूं–ब–हू सटीक बैठती है। केवल तीन दशक से थोड़े कम ही समय के अंतराल में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी की विचारधारा का सर्वत्र बोलबाला हो चला है। स्वदेशी के भाव को आगे लाने तथा स्वदेशी आर्थिक चिंतन के जरिए भारतीयों की सुख–समृद्धि का सपना साकार करने के लिए 90 के दशक में जब स्वदेशी जागरण मंच का गठन किया गया था, तब के देश के नीति निर्माताओं ने इसे एक तुच्छ पहल मानते हुए हिकारत भरी नजरों से देखा था। लेकिन स्वदेशी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और उपयुक्त आर्थिक चिंतन का नतीजा है कि आज देश के संतुलनकारों को भी स्वदेशी में सफलता के अक्स दिखने लगे हैं। स्वदेशी के दर्शन का प्रतिबिंब साधारणतया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट आह्वान में भी देखा जा सकता है। यह वही आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जिसे राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने आज से 30 साल पहले देखा था।

उक्त बातें स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने आज यहां मंच के 29 साल पूरे होने तथा तीसवें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर 'द प्रिंट' से बातचीत करते हुए कही। मालूम हो कि राष्ट्रीय ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की देखरेख में 22 नवंबर 1991 को महाराष्ट्र के नागपुर में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को उनके असाधारण संगठनात्मक कौशल और बौद्धिक जीजिविषा के लिए जाना जाता है। यह वही दौर था जब भारत उदारीकरण के एक नए युग की ओर कदम बढ़ा चुका था। भविष्यद्रष्टा ठेंगड़ी जी को यह भान हो गया था कि उदारीकरण की नीति भारतीय हितों के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वदेशी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर ठेंगड़ी जी ने उदारीकरण के रास्ते दबे पांव आने वाले निजीकरण, वैश्वीकरण को चिन्हित किया तथा गोलबंद होकर प्रखर विरोध की आवश्यकता पर बल दिया।

वर्ष 1996 आने तक स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक नीतियों पर असंतोष का एक महत्वपूर्ण और साहसिक स्वर बन गया था। बताते चलें कि उसी वर्ष 1996 में मंच ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मासिक स्वदेशी पत्रिका शुरू की। इसे मंच का मुखपत्र माना गया। गौरतलब है कि कम साधन–संसाधन होने के बावजूद स्वदेशी पत्रिका का नियमित प्रकाशन होता रहा।
– स्वदेशी संवाद

परिणाम यह हुआ कि स्वदेशी जागरण मंच सत्ता प्रतिष्ठान की नजर में असंतोष की एक महत्वपूर्ण आवाज बन गया। पहले 5 वर्षों के दौरान मंच ने उदारीकरण के नाम पर नासमझ वैश्वीकरण के खिलाफ लगातार हमला किया। हालांकि स्वदेशी के संवाहक सत्ता के गलियारों में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने में पूरी तरह सक्षम नहीं थे, क्योंकि उदारीकरण के जरिए भारत के आर्थिकी कुलांचे भरने का जो सपना दिखाया गया था, उसके बरक्श वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्ष का न तो मूल्यांकन हुआ था और न ही किसी को अनुभव था। वैश्वीकरण के समर्थकों ने तर्क दिया कि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए एकमात्र रास्ता उदारीकरण ही है।

डॉ. महाजन का मानना है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण, उस समय एक ऐसी आकर्षक अवधारणा की तरह प्रस्तुत की गई थी कि हर आदमी उस बैंड–बाजे पर थिरक रहा था। स्वदेशी जागरण मंच और मंच के जैसे ही कुछ अन्य गिनती के संगठनों को इस नीति के बाद की तबाही का पूर्वाभास था। स्वदेशी जागरण मंच पक्के विश्वास के साथ इन नीतियों के विरोध में मुखर रहा। जैसे–जैसे समय आगे बढ़ा, उदारीकरण की परतें एक–एक

कर उधड़ने लगी, तो अन्य लोग भी स्वदेशी के सुसंगत स्टैंड के साथ खड़े होने लगे। स्वदेशी के सरोकार से जुड़ने लगे। यह जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वर्ष 1996 आने तक स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक नीतियों पर असंतोष का एक महत्वपूर्ण और साहसिक स्वर बन गया था।

बताते चलें कि उसी वर्ष 1996 में मंच ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मासिक **स्वदेशी पत्रिका** शुरू की। इसे मंच का मुखपत्र माना गया। गौरतलब है कि कम साधन–संसाधन होने के बावजूद स्वदेशी पत्रिका का नियमित प्रकाशन होता रहा। यहां तक कि कोविड–19 जैसी महामारी के दौरान भी पत्रिका का लगातार संपादन हुआ। लॉकडाउन के चलते हमने डिजिटल प्रकाशन का फैसला लिया है।

बाजपेई युग

मालूम हो कि वर्ष 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार केंद्र में सत्तासीन थी। स्वदेशी जागरण मंच ने विनिवेश जैसे कई मुद्दों को जोर–शोर से उठाया। विनिवेश के तरीकों पर सख्त एतराज जताते हुए तत्कालीन बाजपेई सरकार को आड़े हाथों लिया। उस समय के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने स्वदेशी जागरण मंच के विरोध को सरकार को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मजबूत रणनीति का हिस्सा करार दिया था। जो कि किसी भी रूप में सही नहीं था। आपको यह ध्यान रखना होगा कि बाजपेई सरकार के दौरान भाजपा अल्पमत में थी। बाजपेई युग के दौरान स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी मुखर रणनीति के मामले में आगे थे। इसलिए विपक्षी दलों के साथ–साथ सरकार को सहयोग दे रहे दल भी इस तरह के बेसिर–पैर के

यूपीए-द्वितीय के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने एक जुझारू संगठन की भूमिका अपनाते हुए सरकार में पारदर्शिता की कमी और बढ़ते भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर शेष विपक्ष से हाथ मिलाया था। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के मुद्दे पर मंच ने यूपीए सरकार की घेराबंदी की और यह विरोध आगे भी जारी रहा।

आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि बाजपेई सरकार के प्रमुख सदस्यों में से कोई भी जैसे कि वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, विदेश मंत्री जसवंत सिंह, विनिवेश मंत्री अरुण शौरी, आदि नेतागण मूल रूप से आरएसएस की विचारधारा से नहीं थे। इसलिए उस दौरान नीतिगत निर्णयों में स्वदेशी के सिद्धांतों का कतई पालन नहीं होता था। और यही कारण था कि स्वदेशी के मुद्दों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच का विरोध जारी रहा। और खास बात रह रही कि मंच द्वारा उठाये गये सारे मुद्दे देशहित के थे।

यूपीए शासनकाल

2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार केंद्र में थी। उनके पहले कार्यकाल के दौरान वामपंथी दलों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को पंगु बना दिया था, तब स्वदेशी जागरण मंच ने खुलकर आलोचना की थी कि वामपंथी दल देश को समाजवादी राज्य में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार द्वारा खैरात बांटने की नीतियों का विरोध किया था तथा मंच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश के कमजोर लोगों को लोकलुभावन तोहफे देकर भ्रम में डालने की बजाय सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि दक्षता और क्षमता के आधार पर कमजोरों को मजबूत बनाया जा सके।

यूपीए–2 के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने एक जुझारू संगठन की भूमिका अपनाते हुए सरकार में पारदर्शिता की कमी और बढ़ते भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर शेष विपक्ष से हाथ मिलाया था। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के मुद्दे पर मंच ने यूपीए सरकार की घेराबंदी की और यह विरोध आगे भी जारी रहा।

मोदी युग

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान स्वदेशी जागरण मंच द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर वर्तमान की मोदी सरकार ने समय रहते संज्ञान लिया है। जीएम फसलों के उत्पादनों की अनुमति नहीं देना, विदेशी मुद्रा में संप्रभू बांड जारी करना, बांड के जरिए धन जुटाने से रोकने, योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग गठित करना, आयातों को प्रतिबंधित करने और इसके लिए टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं को लागू करने आदि जैसे मामलों में मोदी सरकार की नीति में स्वदेशी जागरण मंच के रूख को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

जुलाई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के 2 महीने के भीतर ही स्वदेशी जागरण मंच ने जीएम फसलों का मुद्दा उठाया था। लगभग 6 साल बीत गए, अब तक भारत में किसी भी जीएम फसल के व्यवसायिक उत्पादन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है। अक्टूबर 2014 में एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लाने का कदम उठाया

(शेष पृष्ठ 14 पर)

जनजातीय हुतात्माओं के रक्तरंजित इतिहास की गाथा है मानगढ़ बलिदान

स्वदेशी-संस्कृति-स्वधर्म के लिए संघर्ष

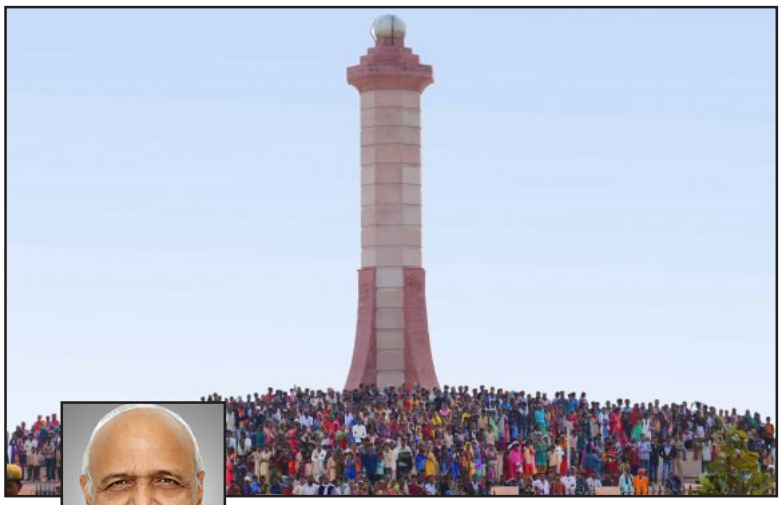

जलियांवाला बाग से भी ज्यादा बर्बर नर संहार की दिल दहला देने वाली घटना का साक्षी मानगढ़ धाम भले ही इतिहास में अपेक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर पाया हो मगर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इस सरहदी दक्षिणांचल के लाखों लोगों के हृदय पटल पर यह श्रद्धा तीर्थ आज भी अमिट रहकर पीढ़ियों से लोक क्रांति के प्रणेता गोविन्द गुरु के प्रति गुरुत्व, आदर और अगाध आस्था बनाए हुए है।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में श्री गोविन्द गुरू ने भील जनजाति बहुल क्षेत्र में ईसाई मतांतरण एवं विदेशी वस्तुओं के विरूद्ध एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाया था। स्वदेशी, स्वधर्म व स्वदेशी संस्कृति की रक्षार्थ लाखों जनजातीय एवं शेष संपूर्ण ग्रामीण समाज की जागृति के लिए बनजारा जाति में जन्में श्री गोविन्द गुरू ने उस संपूर्ण क्षेत्र के गाँवों में हजारों ''सम्प सभाओं'' का निर्माण कर हजारों लोगों को भगत दीक्षा देकर जन जागरण में सक्रिय कर लिया था। ईसाई मतांतरण के विरूद्ध स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और बेगार व बन्धुआ श्रम उन्मूलन सहित शराबबंदी और अन्य व्यवसन छुड़ाने के लिए गाँव–गाँव में यज्ञ कुण्ड प्रज्वलित कराये थे। यज्ञ कुण्ड के रूप में धूणी कहलाने वाले ऐसे अखण्ड अग्नि कुण्डों की स्थापना कर उनमें नारियल की आहुति के साथ स्वधर्म व स्वदेशी अभियान के प्रेरक श्री गोविन्द गुरू के तब लाखों शिष्य बन गये थे। पूरे क्षेत्र 20–25 लाख जनजातीय व ग्रामीण समाज में आयी जागृति से अंग्रज अधिकारी व मेवाड़ स्थित ब्रिटिश पालिटिकल एजेण्ट भयभीत होने लगे थे। इसलिए 1913 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर 17 नवम्बर को गोविन्द गुरू के सानिध्य में मानगढ़ धाम स्थित 5 लाख के जन समूह पर अंग्रेज सेना ने तोपखाने के साथ आक्रमण कर दिया। उसमे 1500 से अधिक लोगों के प्राण गये व हजारों अन्य घायल हुए थे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

वर्ष 1818 में अंग्रेजों के साथ मेवाड़ ने एक मैत्री संधि की थी। उसके उपरान्त मेवाड़ में अंग्रेज रेजिडेण्ट का नियुक्त होने और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की विफलता के बाद तो पूर्वोत्तर से लेकर राजस्थान के जनजाति अंचल तक विदेशी मिशनरी धर्मान्तरणकर्त्ताओं द्वारा जनजातियों में अपने धर्म व संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने एवं विविध प्रलोभन देकर स्वधर्म छोड़कर ईसाईयत स्वीकारने के लिये दबाव बढ़ने लगा था। इस मिशनरी धर्मान्तरण रूपी आक्रमण के प्रतिकार में दक्षिण राजस्थान के वाग्वर अर्थात् वागड़ क्षेत्र में श्री गोविन्द गुरू ने जनजाति समाज के सामाजिक पुनरूत्थान एवं जनजाति समाज के सनातन संस्कारों की रक्षार्थ एक अत्यन्त प्रभावी अभियान छेड़ दिया। स्वधर्म व स्वसंस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धावश राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात के संयुक्त सीमावर्ती क्षेत्र में बसा, सम्पूर्ण जनजाति समाज गोविन्द गुरू की प्रेरणा से मिशनरी धर्मान्तरणकर्त्ताओं और अंगेज सरकार दोनों के विरूद्ध संगठित होने लग गया था। श्री गोविन्द गुरू द्वारा धुणियों में नारियल के हवन द्वारा यज्ञों में माध्यम से एवं कुरीतियों के उन्मूलन के साथ–साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार व **स्वदेशी भाव जागरण अभियान छेड़ दिया था।** जनजातियों की पारम्परिक

गोविन्द गुरू

गोविन्द गुरु का जन्म 20 दिसम्बर 1858 में डूँगरपुर जिले के बांसिया (बेड़सा) गांव में बंजारा परिवार में हुआ। बचपन से ही गोविन्द गुरु ने पढ़ाई–लिखाई के साथ ही सात्विक– आध्यात्मिक विचारों को आत्मसात किया। घुमन्तु बंजारा जाति में जन्में गोविन्द गुरू ने पारम्परिक व्यापार में निर्लिप्त रह कर जन जागरण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती व अन्य संत महापुरुषों के सान्निध्य में रहे गोविन्द गुरु ने सम्पूर्ण जीवन लोक जागरण और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, दमन व शोषण से जूझ रहे समाज को उबारने के लिए राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश के सरहदी दक्षिणाँचल वागड़ को कर्म स्थल बनाया और लोकचेतना का शंख फूंका ।

इसके लिए उन्होंने 1903 में 'सम्प सभा' नामक संगठन बनाया। इसके माध्यम से 'सम्प' अर्थात सह संस्कारों के संवर्द्धन पूर्व मेल–मिलाप व एकता स्थापित करने, व्यसनों, बुराइयों व कुप्रथाओं के परित्याग, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, शिक्षा, सदाचार, सादगी व सरल–सहज जीवन अपनाने, अपराधों से दूर रहने के प्रति लोगों को जागृत किया गया। इस संगठन ने आपसी विवादों का निपटारा पंचायत स्तर पर ही करने में विश्वास रखा तथा समाज सुधार की गतिविधियों को बल दिया। मेल–मिलाप का अर्थ ध्वनित करने वाला यह संगठन सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के साथ ही सदाचारी जीवन अपनाने की प्रेरणा आदिवासी समाज में भरने लगा। परिणामस्वरूप उनके अनुयायियों की तादाद लाखों में पहुँच गई। गोविन्द गुरु की अगुवाई में मानगढ़ धाम इन गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बना।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन होने वाले मेले के क्रम में इसी मानगढ़ पहाड़ी पर 3 से 5 लाख जनजातीय भगत कहलाने वाले भक्तों का महीने भर से मेला जमा था जहाँ ये सामाजिक सुधार गतिविधियों और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त थे। चारों तरफ श्रद्धा और आस्था का ज्वार फैला हुआ था। अंग्रेजी सेना इस समाज सुधार और आजादी पाने के लिए चलाए जा रहे आन्दोलन को कुचलने के लिए लगातार दमन भरे प्रयासों में जुटे हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में जनजाति भक्तों का जमावड़ा देख पहले तो तितर–बितर करने की कोशिश की मगर गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और अपने मकसद को पाने के लिए पूरे जज़्बे के साथ जुटे इन दीवानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

इसी बीच अंग्रेजी सेना के नायक कर्नल शटन के आदेश पर अंग्रेजी सेना ने पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और फायरिंग के आदेश दे दिए। तोप, मशीनगन और बन्दूकें गरजनें लगी और देखते ही देखते आदिवासी भक्तों की लाशें बिछ गई। जिस बर्बरता और क्रूरता के साथ अंग्रेजी फौज ने यह सब कुछ किया उसके आगे जलियांवाला बाग काण्ड की भीषणता भी फीकी पड़ गई। गोरे लोगों द्वारा ढाए गए जुल्म के इतिहास में मानगढ़ नरसंहार काले पन्ने की तरह है।

इस भीषण नरसंहार में शहीद होने वाले भगतों की संख्या 1500 बताई गई है। गोविन्द गुरु भी पाँव में गोली लगने से घायल हो गए। यहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद तथा संतरामपुर की जेल में रखा गया। जनसमूह को इकट्ठा करने, आगजनी तथा हत्या का आरोप मढ़ते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनायी गई। बाद में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। फिर सजा को कम करते हुए 12 जुलाई 1923 को उन्हें संतरामपुर जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे कुशलगढ़, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर तथा संतरामपुर रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। गोविन्द गुरु सन 1923 से 1931 तक भील सेवा सदन झालोद के माध्यम से लोक जागरण, भगत दीक्षा व आध्यात्मिक विचार क्रांति का कार्य करते रहे। 30 अक्टूबर 1931 को लाखों भक्तों को अलविदा कह यह महान शख़्सियत महाप्रयाण कर गई।

गोविन्द गुरु यद्यपि आज नहीं है। लेकिन, उनके घूणी रूपी यज्ञकुण्ड, उनके अनुयायी भगत, उनकें लाखों भक्तों में समाज जागरण से नई ऊर्जा और प्रेरणा संचरित कर रहे हैं। आज भी इस जनजातीय क्षेत्र में असंख्य अनुयायी हैं। जो उनके बताए व्रत का पालन करते है। ❑

आस्था एवं सम्पूर्ण जनजाति समाज में परम्परा से चले आ रहे सनातन धर्म की परम्पराओं के पुनर्जीवन के साथ ही उन्हें एकजुट किये जाने से इस क्षेत्र के समग्र जनजाति समाज, देश व धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार हो गया था।

जलियाँवाला के पूर्व उससे बड़ा नरसंहारः

धर्मान्तरण के विरूद्ध एकता और स्वदेशी का आग्रह अंग्रेज सरकार के लिए खतरे की घण्टी बन गई। बेगार व बन्धुआ मजदूरी का विरोध भी अंग्रेजों को खटकने लगा। जनजातियों ने अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली बेगार व बन्धुआ मजदूरी के विरूद्ध तो आर–पार का संघर्ष ही छेड़ दिया था। अपने पारंपरिक व सनातन धर्म और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कटिबद्ध वीर जनजाति समाज को एक जुट होता देखकर अंग्रजों ने नवंबर

1913 में जालियाँवाला बाग काण्ड के बहुत पहले (6 वर्ष पूर्व) मानगढ़ धाम पर, अपनी धार्मिक आस्था से एकत्र हुए 5 लाख जनजाति समाज पर चारों ओर से घेरा डालकर तोपखाने के साथ आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप 1500 जनजाति वीर हताहत हो गये हजारों घायल हुये और श्री गोविन्द गुरू भी गोली से घायल होने पर गिरफ्तार कर लिये गये। इसी मानगढ़ धाम का यह शताब्दी वर्ष है और उसी की स्मृति में पूज्य गोविन्द गुरू के धर्म जागरण से राष्ट्र रक्षा के इस पावन सामाजिक यज्ञ का इतिवृत संक्षेप में प्रस्तुत पुस्तक में संकलित हैं।

भौगोलिक स्थिति :

डूंगरपुर, बाँसवाड़ा दाहोद व झाबुओं का जनजातीय क्षेत्र वस्तुतः राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृतियों का त्रिवेणी संगम वागड़ लोक परम्पराओं, और जनजातीय जन जीवन के इन्द्रधनुषी रंगों से भरा–पूरा वह अंचल रहा है। मेवाड़ के भील समाज ने तो अरबों व मुगलों आदि के आक्रमणों का भी वीरता से विरोध किया था।

आर्थिक व आधुनिक शिक्षा की दृष्टि में कई इस जनजाति बहुल दक्षिणाँचल को पिछड़ा माना जाता रहा हो मगर आत्म स्वाभिमान व आत्म गौरव की रक्षा के निमित्त प्राणोत्सर्ग करने का भाव इस क्षेत्र में हमेशा से रहा है। मेवाड़ के राज चिन्ह में तो बीच सूर्य व उसके एक ओर महाराणा प्रताप व दूसरी ओर भीलूराणा हैं।

राजस्थान और गुजरात की सरहद पर पर्वतीय उपत्यकाओं में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर आनन्दपुरी के समीप मानगढ़ धाम सामाजिक जागृति और स्वातंत्र्य चेतना के लिए लोक क्रांति का बिगुल बजाने वाला मानगढ़ धाम रहा है जहाँ के प्रत्येक गाँव में क्रांतिचेता गोविन्द गुरु का सन्देश आज भी सजीव है। उनकी शिष्य परम्परा के भगत अग्नि कुण्ड रूपी घूणियाँ एवं लाखों ग्रामीण आज भी घर–घर में श्री गोविन्द गुरू की पूजा करते हैं।

जलियाँवाला बाग काण्ड से भी वीभत्स 1913 का नरसंहार :

यहां पर 20 वीं सदी के आरंभिक दौर में बनजारा जाति में जन्में एवं लोक श्रृद्धा के महानायक गोविन्द गुरु के नेतृत्व में आयोजित सम्प सभा जिसे संस्कार सभा कहा जा सकता है में जमा हजारों श्रृद्धालु आदिवासियों पर रियासती व अंग्रेजी फौजों ने तोप, बन्दूकों और मशीनगनों से कहर बरपाते हुए इस घटना में 1500 से अधिक जनजाति देश–भक्तों को मौत के घाट उतार दिया था और कई हजार लोग घायल हुए थे।

जलियांवाला बाग से भी ज्यादा बर्बर इस नर संहार की दिल दहला देने वाली घटना का साक्षी मानगढ़ धाम भले ही इतिहास में अपेक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर पाया हो मगर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इस सरहदी दक्षिणांचल के लाखों लोगों के हृदय पटल पर यह श्रद्धा तीर्थ आज भी अमिट रहकर पीढ़ियों से लोक क्रांति के प्रणेता गोविन्द गुरु के प्रति गुरुत्व, आदर और अगाध आस्था बनाए हुए है। ❑❑

(पृष्ठ 11 से आगे...)

'लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया'...

गया। स्वदेशी जागरण मंच ने खाद्य सुरक्षा पर कानून के संभावित प्रभाव पड़ने इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव और उन किसानों की सहमति से संबंधित मुद्दों के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। सब जानते हैं कि उस विषय पर तीन बार अध्यादेश लाया गया और हर बार वह ठंडे बस्ते का शिकार हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दो गवर्नर रघुराम राजन और उनके उत्तराधिकारी उर्जित पटेल नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया यह सभी नाम उन लोगों के थे, जो स्वदेशी के खांचे में फिट नहीं बैठते थे। स्वदेशी जागरण मंच ने खुलकर इनका विरोध किया और आज वे भारत सरकार में कहीं नहीं है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (आरसेप) को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर भारत इस समझौते में शामिल होता है तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, रोजगार सृजन, किसानों की दो गुना आय, के साथ–साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए भी खतरनाक होगा। अंततः सरकार ने पिछले साल आरसीईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया।

कई लोग पूछते हैं कि बाजपेई शासन के दौरान सदैव झंडा बुलंद करने वाले स्वदेशी जागरण मंच के लोग मोदी युग में ठंडा क्यों है। बीते 6 साल के दौरान कभी यह नहीं लगा कि सरकार और मंच के बीच किसी मुद्दे पर कोई मतभेद है, तो इसका स्पष्ट कारण यह है कि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है और मोदी सरकार स्वदेशी के मामलों को बढ़–चढ़कर ग्रहण करती रही है। इस बीच स्वदेशी जागरण के एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य टकराव नहीं है। हमारी रणनीति के तीन प्रमुख तत्व हैं– जागरूकता पैदा करना, लोगों को शिक्षित करना और रचनात्मक कार्यक्रम चलाना। और सबसे बड़ी बात कि हमारे स्वदेशी जागरण मंच के जनक राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की यही सीख भी है। ❑❑

दी प्रिंट के लिए अरुण आनंद की डॉक्टर अश्वनी महाजन से हुई बातचीत पर आधारित

स्वदेशी से ही देश की समृद्धि संभव

कोरोना जब से हावी हुआ है, दुनिया को आत्मनिर्भरता की बात सुझ रही है। सभी राष्ट्र इस बात को महसूस कर रहे कि परावलम्बिता आज के असहायता का प्रमुख कारण है। कोरोना की वजह से जागृतिकरण और उससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला टूट चुकी है और आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई है। ऐसे समय में आत्मनिर्भरता यही एक मार्ग रह जाता है। भारत शतकों से अपनी राजकीय स्वतंत्रता खो चुका था। लेकिन उसके पीछे आर्थिक सर्वभौमत्व खो देना प्रमुख कारण रहा है। और यही बात समझने की जरूरत है। भारत जब तक आर्थिक दृष्टि से सार्वभौम नहीं हो जाता, तब तक राजकीय स्वतंत्र्यता धोखे में रहेगी। अभी तो भारत, आर्थिक परवलम्बिता से ही गुजर रहा है और जल्दी इससे छुटकारा पाना जरूरी है।

आर्थिक सार्वभौमत्व को समझना जरूरी

भारत एक समृद्ध देश था, यह तो सभी जानते ही है और बाहरी लोग इसे लूटते रहे है, यह भी सब जानते है। इस लूट के तरीके जरूर बदलते रहे है। पहले गजनी जैसे, जो भी हाथ लगा, वह लेके भाग लिया करते थे। मुगलों ने भारत का शासन संभाला तो लूट बाहर जाना बंद तो हुई, लेकिन वही ऐशोआराम के लिए जनता को लूटते रहे। ब्रिटिश इनसे आगे थे। वे आए तो थे व्यापार करने, लेकिन जल्दी ही समझ गए सिर्फ व्यापारी बनकर देश की संपत्ति लूटी नहीं जा सकती। तो उन्होंने सत्ता और शासन अपने हाथ में लेना शुरू किया और कामयाब भी रहे। हम न उनको सत्ता से दूर रख सके, न आर्थिक लूट से। उनका तरीका सीधा–साधा था। पहले तो राजाओं के दरबार में जगह बनाओ, फिर उनमें से कुछ को लालच दो और अपनी बात मनवाते रहो। आगे चलकर वे फौज रखने लगे और मनमानी करने लगे। इसमें आर्थिक लूट का मकसद स्पष्ट था। लेकिन हम इसे समझ नहीं पाये। देश की आर्थिक शक्तियों को नियंत्रित करके संपत्ति लूटना और फिर राजनैतिक सार्वभौमत्व भी हथियाना, यह तरकीब आज भी कामयाब रही है। दूसरे महायुद्ध के बाद आर्थिक कमजोरी को अपने

दुनिया बादल रही है, लेकिन समद्ध देशों की नीति नहीं बदली है। भारत को भी समद्ध होना होगा और उसका रास्ता स्वदेशी से ही गुजरता है।

– अनिल जवलेकर

फायदे के लिए उपयोग में लाना, यह अंतर्राष्ट्रीय नीति रही है और भारत इस बात को अभी भी नहीं समझ पाया है।

आज चाईना भारत को शिकंजे में ले रहा है

आज चाईना भारत का एक बड़ा व्यापारी पार्टनर है। भारत चाईना से अपने निर्यात (16 बिलियन डॉलर) के मुक़ाबले ज्यादा आयात (65 बिलियन डॉलर) करता है। इसलिए भारत नुकसान उठाता है और चाईना मुनाफा। आजकल तो हम कंजीवरम साड़ी, राजस्थानी ज्वैलरी से लेकर खिलौने तक सबकुछ चाईना से मँगवाते है। हमारी पूजा के लिए मूर्तियां भी चाईना से आने लगी है। इस साल हम फ़ेस्टिवल ही ज्यादा नहीं मना रहे है, इसलिए शायद बाजार में चाईना माल कम दिखाई दे रहा है। वरना हमारी नीति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भारत में भी 75 प्रतिशत टेलिकॉम एक्विपमेंट चाईना से आते है। औषधि कंपनियों को लगने वाला 70–80 प्रतिशत कच्चा माल चाईना से आता है। हम तो यहा तक कह सकते है कि कुछ भारतीय छोटे उद्योग तो इस आयात से पूरी तरह बंद हो चुके है और हमारे उद्योगपति अब चाईना माल के व्यापारी भर रह गए है। चाईना का उद्योग बढ़ाने का मतलब भारत का उद्योग खोना है, यह बात ध्यान रखनी होगी।

चाईना भारत को परावलंबी बना रहा है

दुनिया बदल रही है, लेकिन उसके चाल–चलन में कोई बदलाव नहीं आया है। विस्तारवाद और धर्म के नाम पर मानव जाति को अपने कब्जे में करने की बात अब भी हो रही है। इसलिए सावधानी जरूरी है। जो ब्रिटिशों ने किया, वहीं चाईना करने जा रहा है। पहले व्यापार और बाद में पूरे देश को वश में करना, यही उसकी भी नीति है।

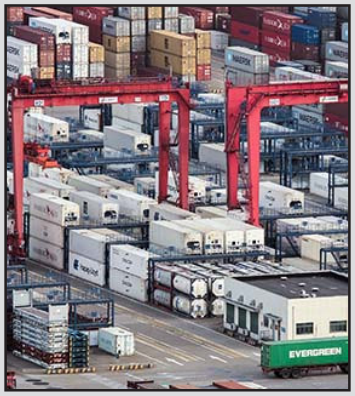

स्वदेशी कल्पना, किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विरोध नहीं करती। व्यापार मानवी समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज के आर्थिक व्यवहार चलाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पहले व्यापार, बाद में निवेश। फिर तकनीकी एवं उपभोक्ता पर नियंत्रण। और आखिर में भारतीय उद्योग का परावलंबित्व होना। चाईना भारतीय उद्योगों में निवेश भी कर रहा है, जैसे कि एल्क्ट्रोनिक, वेंचर कैपिटल, पावर, वित्तीय, टेलीकॉम आदि क्षेत्र। एक बार व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण कर लिया तो भारत को राजनीतिक तौर पर असहाय करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। भारत को इस चाल को समझना चाहिए और व्यापार तथा भारतीय उद्योग चाईना के ऊपर किसी भी तरह से अवलंबित न हो, यह नीति अपनानी चाहिए।

स्वदेशी नीति और स्वदेशी उद्योग जरूरी

भारत को यह समझना जरूरी है की दुनिया के सभी राष्ट्र अपना हित देखते है और उपकार दिखावे की बात होती है। पूंजीवादी देश हो या फिर साम्यवादी, सभी का दूसरे राष्ट्र के प्रति धारणा एक जैसी होती है। अमरीका की पूंजी हो या तकनीकी, चाईना की पूंजी और तकनीकी से अलग नहीं होती। निवेश हो या फिर तकनीकी की लेनदेन, सभी मुनाफा देखते है और मुनाफे के लिए ही सब करते है। कोई किसी पर उपकार नहीं करता। यह सही है कि व्यापार और लेनदेन में दोनों पार्टी कम अधिक प्रमाण में अपना हित साधती है। लेकिन इसमें संतुलन एक कसरत है, जिसमें कमजोर और सभी दृष्टि से परावलंबी देश अपने हित की बात ज्यादा नहीं कर सकता और बहुत सी बातें मान लेता है। जिसमें दीर्घकाल में नुकसान होता है। भारत हमेशा से इस बात में कमजोर रहा है। पेट्रोल तथा आधुनिक तकनीकी में भारत परावलंबी रहा है और बड़े देश इसका फायदा उठाते रहे है। और इसलिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की नीति महत्व की हो जाती है।

स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विरोध नहीं करती

स्वदेशी कल्पना, किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विरोध नहीं करती। व्यापार मानवी समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज के आर्थिक व्यवहार चलाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सवाल तब खड़ा होता है, जब व्यापार शोषण का साधन बनता है। शुरु में सैन्य ताकत मुख्य थी और ताकत के बल पर व्यापार भी नियंत्रित किया जाता था। सैन्य ताकत आज भी महत्व रखती है। बाद में तकनीकी को महत्व प्राप्त हुआ और उसने प्रगत राष्ट्रों का साथ दिया। इन स्थितियों में आज भी बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ताकतवर देशों ने कमजोर देशों का शोषण करके ही अपना हित साधा है। स्वदेशी नीति में यह ध्यान रखा

जाता है कि व्यापार बराबरी के हिस्सेदारी में हो। व्यापार में वस्तु एवं सेवा की लागत और गुणात्मकता को महत्व मिले, न कि किसी की ताकत को।

स्वदेशी नीति आयात निर्यात के परे देखें

स्वदेशी नीति अभी तक आयात निर्यात को ही ध्यान में रखकर की जाती रही है। इसके परे जाना होगा। निर्यात पर आधारित विकास यह एक झूठी कल्पना है। किसी का निर्यात, किसी का आयात होता है, इसलिए यह स्वदेशी को संकुचित करती है। स्वदेशी सभी देशों की अपने–अपने विकास के लिए सहायक होती है। विकास की कल्पना अपनी–अपनी संस्कृति और उससे संबधित समाज की जरूरतें पूरी कर उन्नति करना, माना जाना चाहिए। न कि एक जैसा विकास और एक जैसी जरूरतें निर्माण करना और उसकी पूर्ति करना। इसलिए जहां लोग चावल खाते है, वहां गेहूं का उत्पादन बढ़ाना और लोगों की खाने की आदतें बदलना, विकास नहीं है। स्वदेशी ऐसा विकास चाहती है, जिसमें जहां जैसी संस्कृति है, जैसा रहन–सहन है, जैसा जहां नैसर्गिक साधन सामग्री ने जीवन ढ़ाला है, उसी को पर्यावरण और साधनों को नुकसान पहुंचाए बिना समाज समृद्ध हो। हर देश ऐसी नीति अपना सकता है और एक दूसरे का सहयोग कर सकता है।

यह किया जा सकता है –

1. निश्चित तौर से कृषि नीति इसमें महत्त्वपूर्ण है। वह जमीन, जो उगती है और उगा सकती है, उसे ही प्रोत्साहन देना चाहिए। एक ही फसल पूरे भारत वर्ष में उगाने की नीति बदलनी होगी। आज पंजाब चावल ले रहा है और पानी की कमी वाले प्रदेश गन्ना उगा रहे है। इससे सभी को नुकसान है। उसी तरह हर कृषि उत्पाद का उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाना होगा और उसी की नीति अपनानी होगी। कुछ ही फसलों को अहमियत देकर उन्हीं की एमसपी बढ़ाते रहना और उन्ही से सरकारी गोदाम भरते रहने से काम नहीं चलेगा। सभी प्रदेशों के सभी किसानों को समृद्धि की ओर ले जा सके, ऐसी नीति अपनानी होगी।
2. हमारे जो भी मूलभूत उद्योग है उसको भारतीय करना और भारतीय तकनीकी से स्वावलंबी करना, नीति का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। न कि उसको परदेशियों को बेचकर अपनी हाल पर छोड़ना। भारतीय सरकार का भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण आवश्यक है, यह बात नहीं भुलनी चाहिए।
3. जो भी परदेसी चलन उपलब्ध है उसे ठीक ढंग से उत्पादन कार्य में लगाना चाहिए, न कि उपभोग पर। ग्रामीण उद्योगों को नई तकनीकी का फायदा हो, इस तरह से इसका उपयोग होने से फायदा होगा। इन्हीं उद्योगों का उत्पादन गुणात्मक व स्पर्धा कर सके, ऐसा होना जरूरी है।
4. भारतीय उद्योगों की पूंजी की समस्या का हल बहुत जरूरी है। इनकी असहायता परदेशियों को नियंत्रण करने में बढ़ावा देती है और मजबूरन यह उद्योग बाहरी लोगों के हाथ में जाते है। इसलिए ये जरूरी है कि भारतीय उद्योग भारतीयों के हाथ में रहे।
5. सबसे बड़ी बात है कि भारतीय उपभोक्ता को भारतीय वस्तु व सेवा का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसलिए स्वदेशी आंदोलन खड़ा करना, आज की एक बड़ी जरूरत है।

दुनिया बादल रही है, लेकिन समृद्ध देशों की नीति नहीं बदली है। भारत को भी समृद्ध होना होगा और उसका रास्ता स्वदेशी से ही गुजरता है। ❑❑

लेखक स्वदेशी पत्रिका में लिखते रहे है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

इमरान और इर्दोगन डाल रहे हैं आग में घी

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बयान से उठे बवाल को पाकिस्तान और तुर्की खूब हवा दे रहे हैं। इस्लामाबाद और इस्तांबुल में इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना आग में घी डाल सकता है। इमरान खान और इर्दोगन मुसलमानों में यह संदेश पहुंचाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं कि मैक्रोन ने इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंकवाद के समर्थन में खड़े ये दोनों नेता पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। कई देशों में पहले से ही इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद का जहर फैला हुआ है, वैसे में पाकिस्तान और तुर्की के भड़काऊ रवैये की जितना हो सके आलोचना की जानी चाहिए।

इस्लाम की तौहीन करने वालों को सजा देने का जो कैंपेन शुरू हुआ है, उसमें उस अतिवादी और आतंकवादी का मानवता विरोधी कृत्य छिप गया है, जिसने एक फ्रांसिसी शिक्षक का गला इसलिए काट दिया था कि उस शिक्षक ने मोहम्मद साहब के कार्टून पर क्लॉस रूम में कुछ व्याख्यान दिए थे। पूरी दुनिया में कम से 18 ऐसे मजहब हैं, जिनके मानने वालों में करोड़ों लोग शामिल हैं। परंतु पूरी दुनिया में केवल एक इस्लाम ही ऐसा मजहब है, जिसमें अल्लाह या पैगंबर पर कोई सवाल करने वालों की हत्या करने का फतवा जारी कर दिया जाता है। बाकी कोई ऐसा मजहब नहीं है जहां संस्थागत तरीके से किसी को मारने का ऐलान किया जाता हो।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लाम के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और हिंसा के मामले में एक ही बात कही है कि इस्लाम को लेकर दुनिया पर खतरा है। हो सकता है कि मैक्रोन की इस बात में पूरी सच्चाई ना हो, लेकिन इस बात पर भी कोई शंका नहीं है कि कई अन्य देशों की तरह फ्रांस भी ऐसा देश है, जो इस्लामिक आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित है। फ्रांस ने पिछले 10 सालों में न जाने कितने हमले झेले हैं।

फ्रांस को इस बात का बहुत देर से अहसास हुआ कि उनकी धरती का इस्तेमाल पूरी दुनिया में आतंकवाद फेलाने के लिए किया जा रहा है। फ्रेंच इंटेलिजेंस लगभग पंद्रह हजार अपने मुस्लिम नागरिकों और शरणार्थियों पर नजर रखे हुए है जिनकी भूमिका संदिग्ध है। आतंकवाद की घटनाओं में शामिल मुसलमानों से फ्रांस की जेलें भर गई हैं।

– विक्रम उपाध्याय

8 अक्टूबर 2004 को पेरिस स्थित इंडोनेशिया के दूतावास पर बम धमाका। इस धमाके को अंजाम दिया फ्रांसिसी इस्लामिक आर्मी ने। इस धमाके में एक व्यक्ति की जान गई। 1 दिसंबर 2007 को फ्रांस और स्पेन में सक्रिय अलगाववादी संगठन ईटीए ने स्पेन के दो सिविल गार्ड की गोली मार कर हत्या कर दी। 16 मार्च 2010 को इसी ईटीए के अतिवादियों ने फ्रांसिसी पुलिस वालों की हत्या कर दी। 2012 के 11 मार्च से 22 मार्च के बीच में मोहम्मद मेराह नाम के संगठन ने तीन फ्रेंच पैराटुपर और तीन स्कूली बच्चों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। 25 मई 2013 को एक इस्लामिक सिरफिरे ने फ्रांस के एक सैनिक के पेट में चाकू घोंप दिया। 20 दिसंबर 2014 को भी एक व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए एक पुलिस वाले को चाकू मार दिया।

फिर जनवरी 2015 का वह हादसा। जब चार्ली अबे के कार्यालय में घुंसकर एक मुस्लिम आतंकवादी ने नरसंहार शुरू कर दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसी हादसे के बाद पता चला कि फ्रांस में अलकायदा और आईएसआईएस ने कितनी जड़े जमा रखी हैं। फ्रांस ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, लेकिन उसके एक महीने बाद ही फरवरी 2015 में फिर से एक मुस्लिम अतिवादी ने तीन सुरक्षा गार्डों को चाकू मार कर घायल कर दिया। 19 अप्रैल 2015 को एक अल्जीरियन जेहादी ने चर्च पर हमला करने की कोशिश की। इसमें एक महिला की जान भी चली गई। 21 अगस्त 2015

को भी एम्सटर्डम से पेरिस जा रही एक ट्रेन पर हमला कर नरसंहार की कोशिश की गई। लेकिन संयोग था कि हमलावर सिर्फ 3 लोगों को घायल कर पाया और उसे यात्रियों ने धर दबोचा।

13–14 नवंबर 2015 को पेरिस हमले को कौन भूल सकता है। फुटबाल मैच के बीच भयानक आतंकवादी हमला हुआ। क्लब, बार और मैदान पर कोहराम मच गया। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले में 90 फ्रांसिसी मारे गए थे। फ्रांस ने इस घटना के बाद आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया था, सीरिया पर हमले भी किए, लेकिन फ्रांस अभी भी आतंकवाद की चपेट से बाहर नहीं निकला।

फ्रांस, इस्लामिक आतंकवाद की घटनाओं को लगभग हर महीने झेल रहा है। इसलिए मैक्रोन का यह कहना कि इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है उससे दुनिया को खतरा उत्पन्न हो गया है, गलत नहीं है। खुद को और अपने हर नागरिक को बचाने और आतंकवादियों को खत्म करने का पूरा अधिकार मैक्रोन के पास है। जिस विचारधारा को लेकर फ्रांस में हमले हो रहे हैं उसका प्रतिकार और उस विचारधारा की आलोचना करना भी मैक्रोन का अधिकार है। लेकिन इस्लामिस्ट जेहाद के खिलाफ बोलने के बजाय पाकिस्तान और तुर्की फ्रांस को ही इस्लामीफोबिया के लिए जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। कोई मैक्रोन का सिर चाहता है तो कोई फ्रांस के सामानों का बहिष्कार चाहता है।

फ्रांस और राष्ट्रपति मैक्रोन के विरोध पीछे केवल उनका बयान नहीं है, बल्कि वह कानून है, जिसको दिसंबर में लाने की घोषणा मैक्रोन ने की है। फ्रांस 1905 के उस कानून में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत चर्च और मस्जिद समेत उन तमाम मजहबी संगठनों के वित्तीय पोषण पर रोक लग सकती है, जिन्हें विदेशों से धन प्राप्त होता है। इस कानून के बाद फ्रांस में मुस्लिम संगठनों के उन मदरसों पर रोक लग सकती है, जो निजी तौर पर मुस्लिम बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे हैं। उन इमामों और मुल्लों पर भी प्रतिबंध लग सकता है जो विदेशों से आकर स्थानीय इमामों को ट्रेनिंग आदि देते हैं। मैक्रोन की इस घोषणा से फ्रांस के मौलवियों और इमामों में भी बेचैनी है और मैक्रोन के इस प्रयास को मुस्लिम बच्चों के खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन मैक्रोन ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि वह फ्रांस में रह रहे मुसलमानों को बाहरी इस्लामिक दुनिया के प्रभाव से मुक्त कर के दम लेंगे। तुर्की और पाकिस्तान की बेचैनी का एक कारण यह भी है कि फ्रांस में जाकर बसने वाले मुसलमानों में एक बड़ी संख्या इन दोनों देशों के नागरिकों की भी है।

वैसे फ्रांस में मुस्लिम शरणार्थियों का बड़े पैमाने पर आगमन 1960 और 1970 के दशक में ही हो गया था, लेकिन उस समय ज्यादातर मुस्लिम फ्रांस में रोजी रोटी के लिए गए थे। उनमें महिलाओं की संख्या काफी कम थी। फ्रांस में जाकर नौकरी करने वालों मुसलमानों में मुख्य रूप से अल्जीरिया और उत्तरी अफ्रीका के लोग थे। लेकिन 1976 में फ्रांस ने एक कानून पास कर प्रवासी मुसलमानों को न सिर्फ फ्रांस की नागरिकता दे दी, बल्कि उनके होम कंट्री से परिवार को लाने और वहां बसाने का भी अधिकार दे दिया। उन्हें यह पता नहीं था कि एक दिन उनके कदम उनके लिए ही खतरा बन जाएंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में आईएसआईएस के लिए लड़ने वालों में लगभग 900 ऐसे भी थे जो फ्रांस से गए थे। 2019 में इराक के एक कोर्ट ने चार फ्रेंच नागरिकों को आईएसआईएस के लिए लड़ने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनिशिया के मुसलमानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर सीरिया, तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासी भी इन गतिविधियों में शामिल होने लगे हैं।

फ्रांस हालांकि एक सेकुलर देश है। 1905 में ही एक कानून के जरिए शासन प्रशासन में चर्च की दखल को खत्म कर दिया गया, लेकिन फ्रांस की सरकारों ने मुसलमानों के प्रति बेहद उदार रवैया अपनाया। फ्रांस में कानून के विपरीत जाकर मुस्लिम काउंसिल की स्थापना की गई। फ्रांस की मस्जिदों के इमाम आर्म्स जेहाद की वकालत करने लगे हैं।

कैथोलिक स्कूलों के साथ साथ इस्लामिक स्कूलों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई। फ्रांस में इस समय 2300 मस्जिदें हैं और लगभग 250 और मस्जिदें बनाई जा रही हैं। फ्रेंच मुस्लिम काउंसिल की मांग है कि मस्जिदों की संख्या अभी के मुकाबले दुगनी होनी चाहिए। अब जबकि फ्रांस को इस बात के साक्ष्य मिल गए हैं कि मस्जिदों से ही अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो कुछ मस्जिदों को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। लगभग 20 मस्जिदें बंद कर दी गई हैं।

फ्रांस को इस बात का बहुत देर से अहसास हुआ कि उनकी धरती का इस्तेमाल पूरी दुनिया में आतंकवाद फेलाने के लिए किया जा रहा है। फ्रेंच इंटेलिजेंस लगभग 15 हजार अपने मुस्लिम नागरिकों और शरणार्थियों पर नजर रखे हुए है जिनकी भूमिका संदिग्ध है। आतंकवाद की घटनाओं में शामिल मुसलमानों से फ्रांस की जेलें भर गई हैं। जब अक्टूबर 2020 में एक जेहादी ने शिक्षक का सर कलम कर दिया तब जाकर मैक्रोन ने इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ मोर्चा खोला।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

बहुराष्ट्रीय कृषि व खाद्य कंपनियों से सावधानी जरूरी!

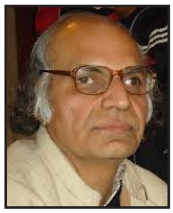

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अपने प्रचार–प्रसार के व भ्रष्टाचार के लिए असीमित धन उपलब्ध है। अतः खाद्य व कृषि को नियंत्रित करने के उनके कुप्रयास के विरुद्ध बहुत व्यापक स्तर पर एकता बनाकर उन्हें रोकने का सतत् प्रयास करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी खेती, किसानी, हमारे पर्यावरण व स्वास्थ्य की बहुत गंभीर क्षति होगी।

– भारत डोगरा

पिछले पांच–छः दशकों में किसानों की आत्म–निर्भरता और स्वावलंबिता में भारी गिरावट आई है तथा वे कृषि की नई तकनीकों को अपनाने के साथ रासायनिक कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद, बाहरी बीजों व उपकरणों पर बहुत निर्भर हो गये हैं। उन्होनें यह निर्भरता स्वीकार तो उस उम्मीद से की थी कि यह उन्हें आर्थिक समृद्धि की ओर ले जायेगी, पर आरंभिक कुछ वर्षों की सफलता के बावजूद कुछ ही वर्षों में भूमि के उपजाऊपन पर इन रसायनों का प्रतिकूल असर नजर आने लगा व महंगी तकनीक का बोझ परेशान करने लगा। विशेषकर छोटे किसान तो कर्ज की मार से परेशान रहने लगे। फसलों की नई किस्मों को लगने वाली नई तरह की बीमारियों व कीड़ों ने विशेष रूप से परेशान किया। अपनी परंपरागत फसलों की तो खूब समझ किसानों को थी किंतु इन नई किस्मों को जो नये तरह के रोग लग रहे थे, उसके उपचार के लिए वे क्या करें उन्हें पता नहीं था। कभी कोई महंगी रासायनिक दवा का नाम उन्हें बता दिया जाता था, कभी किसी दूसरी का। इस चक्कर में तो वे ऐसे फंसे कि कितना ही पैसा खर्च डाला पर फिर भी बीमारियों व कीड़ों के प्रकोप को संतोषजनक ढंग से कम नहीं कर सके।

जहां जमीनी स्तर पर किसान इन अनुभवों से गुजर रहे थे, वहां बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्तर पर ऐसे प्रयास चल रहे थे कि किसानों पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लिया जाए। इस नियंत्रण को बढ़ाने का प्रमुख साधन बीज को बनाया गया क्योंकि बीज पर नियंत्रण होने से पूरी खेती–किसानी पर नियंत्रण हो सकता है।

अतः बड़ी कंपनियों ने बीज क्षेत्र में अपने पैर फैलाने आरंभ किये। पहले बीज के क्षेत्र में छोटी कंपनियां ही अधिक नजर आती थी, पर अब विश्व स्तर की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छोटी–छोटी कंपनियों को खरीदना आरंभ किया। जो बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आई, वे पहले से कृषि रसायनों व विशेषकर कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों आदि के उत्पादन में लगी हुई थी। इस तरह बीज उद्योग व कृषि रसायन उद्योग एक ही तरह की कंपनी के हाथ में केन्द्रीकृत होने लगा। इससे यह खतरा उत्पन्न हुआ कि ये कंपनियां ऐसा बीज तैयार करेंगी जो उनके रसायनों के अनुकूल हो अथवा बीज को वे अपने रसायन की बिक्री का माध्यम बनायेंगी। इस तरह बीज उद्योग का अपना जितना मूल्य था, उससे कहीं अधिक बिक्री उसके माध्यम से हो सकती थी व इस कारण अनेक बड़ी रासायनिक कंपनियां इस उद्योग की ओर आकर्षित हुई।

इसके साथ ही कृषि अनुसंधान भी सार्वजनिक क्षेत्र से निकलकर निजी क्षेत्र में अधिक पहुंचने लगा। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि अनुसंधान संस्थान भी पहले की तरह चलते

रहे, पर उनसे अधिक आर्थिक संसाधनों वाले अनुसंधान कार्यक्रम बड़ी कंपनियों ने विकसित कर लिए। अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर बड़ी कंपनियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि संस्थानों में दखलंदाजी करनी आरंभ की व उनके अनेक वैज्ञानिको को अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया।

जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में बड़े–बड़े जीन बैंक बने हुए थे व जहां विभिन्न फसलों की तरह–तरह की किस्मों के बीज एकत्र किए गये थे, वहां भी बड़ी निजी कंपनियों का दखल बढ़ गया। यहां से वे अपने अनुसंधान व उत्पाद विकसित करने के लिए बहुत ही विविध प्रकार की पौध संपदा प्राप्त करने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न उपायों से अपने विस्तृत जीन बैंक भी विकसित कर लिये। एक समय केले की विभिन्न उपलब्ध किस्मों के बारे में यह स्थिति थी कि केवल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास इसका दो तिहाई जनन द्रव्य केन्द्रीकृत था।

इसके बाद अगला कदम यह था कि पौधे की किसी किस्म के लिए पेटेंट के अधिकार की मांग की जाए ताकि अपने विशिष्ट बीजों के आधार पर ये बड़ी कंपनियां भारी मुनाफा कमा सकें। जीवन के किसी रूप का भी क्या पेटेंट हो सकता है, यह बात आज से मात्र दो दशक पहले तक बहुत अजीब और विकृत लगती थी। पर इसके लिए दबाव इतना जबरदस्त डाला गया कि जो असहनीय लगता था वह कुछ ही वर्षों में स्वीकृत होने लगा।

अगला कदम यह था कि विश्व के अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा जीएम (जेनेटिकली मोडीफाईड) फसलों के खतरों के विरुद्ध चेतावनी देने के बावजूद इनमें से अनेक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जीएम फसलों के प्रसार में जुट गईं।

अनेक वैज्ञानिकों की इस तरह की स्पष्ट राय के बावजूद चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियां करोड़ों डालर इन जीएम फसलों के प्रचार–प्रसार पर क्यों लगा रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनका उद्देश्य मूलतः कृषि के पर्यावरण को सुधारने या खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है ही नहीं अपितु उनका मूल उद्देश्य तो विश्व स्तर पर कृषि व खाद्य पर अपना नियंत्रण दृढ़ करना है।

यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग उनके लिए बेहतर है क्योंकि इसे बड़े संसाधनों वाली कुछ कंपनियां ही अपना सकती हैं। इसके लिए पेटेंट प्राप्त करना भी इन कंपनियों ने कानूनी बदलाव करवाकर आसान करवा लिया है व इस तरह ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर ली है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनियां जीएम बीजों के माध्यम से इस विश्व में बीज क्षेत्र को बहुत हद तक नियंत्रित कर लें। इस तरह वे बहुत मुनाफा तो कमा सकती हैं साथ ही बीज के माध्यम से कृषि व खाद्य व्यवस्था को नियंत्रित करने से उनका व अमेरिका का राजनीतिक दबदबा भी बढ़ जाएगा।

यह इन कंपनियों की योजना रही है पर आरंभ से ही यह योजना कुछ गंभीर कठिनाईयों में फंस गई है। विश्व के अनेक विख्यात व प्रतिष्ठित वैज्ञानिक आरंभ से ही इस बारे में गंभीर सवाल उठाते रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को कृषि व खाद्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान देने के गंभीर खतरे हैं। अनेक प्रयोगों व अनुसंधान से यह गंभीर दुष्परिणाम सामने भी आने लगे। इस स्थिति में इस तकनीक को अपनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक विकल्प यह था कि वे आरंभिक समय में ही अपनी गलती स्वीकार कर इस खतरनाक तकनीक को त्याग देतीं। इससे उन्हें कुछ आर्थिक क्षति तो अवश्य होती पर वे दीर्घकालीन स्तर पर एक बेहद हानिकारक तकनीक को फैलाने के खतरों से बच जातीं।

इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस विकल्प को नहीं अपनाया अपितु जीएम फसलों के गंभीर खतरों संबंधी जानकारी को दबाने के लिए करोड़ों डालर झोंक दिए व इसके साथ ही अपने जीएम उत्पादों के लिए जल्दबाजी में अनेक महत्त्वपूर्ण विकासशील देशों (विशेषकर भारत) में स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास बहुत तेज कर दिए। इसके पीछे उनकी सोच यह थी कि एक बार यह फसलें दुनिया के बड़े क्षेत्र विशेषकर भारत व चीन में फैल गईं तो फिर शेष विश्व को भी मजबूरी में उन्हें तमाम खतरों के बावजूद स्वीकार करना ही होगा।

जीएम फसलों की विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए यह समय बहुत संवेदनशील है। यदि जीएम फसलों संबंधी सही जानकारी दुनिया के अधिकांश लोगों व सरकारों तक पहुंच गई तो उनका अब तक का अरबों डालर का निवेश भी खतरे में पड़ जाएगा व पर्यावरण, खेती व स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त करने का बहुत सा मुआवजा भी देना पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि जल्दबाजी में उन्होंने भारत जैसे कुछ बड़े देशों में जीएम फसलें फैलाने में सफलता प्राप्त कर ली तो कम से कम कुछ वर्षों के लिए उनका विश्व कृषि पर नियंत्रण हो जाएगा। चाहे बाद में इससे कितनी भी क्षति हो, पर कुछ समय के लिए मनमाने मुनाफे व अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी।

इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अपने प्रचार–प्रसार के व भ्रष्टाचार के लिए असीमित धन उपलब्ध है। अतः खाद्य व कृषि को नियंत्रित करने के उनके कुप्रयास के विरुद्ध बहुत व्यापक स्तर पर एकता बनाकर उन्हें रोकने का सतत् प्रयास करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी खेती किसानी, हमारे पर्यावरण व स्वास्थ्य की बहुत गंभीर क्षति होगी। ❑❑

धीरे-धीरे पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था

वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही से ही चीन से आये कोरोना वायरस से संक्रमित कोविड़ 19 के फैलने से जहां विश्व भर की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक विपरीत प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था को यह झटका देश के संसाधनों के दुरूपयोग अथवा किसी सरकारी नीति के गलत होने से नहीं हुआ अपितु लम्बे समय तक लागू होने वाले लॉकड़ाउन से बंद हुए बाजार व उद्योगों के कारण हुआ, वहीं सरकार ने बड़ी मात्रा में करोड़ों लोगों को मुफ्त में गेंहू, चावल, चना व दाल इत्यादि का वितरण लगातार कई महीनों तक करवाया तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए चिकित्सा पर व्यय किया गया जिसका प्रभाव यह पड़ा कि देश का आर्थिक विकास बहुत धीमा हो गया। विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था की धीमी होती रफ्तार का ठीकरा केन्द्र सरकार के सिर पर फोड़ने की प्रत्येक सम्भव कोशिश की परन्तु वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये तथा जनता ने परिस्थितियों को समझते हुए सरकार को प्रत्येक निर्णय में सरकार का साथ दिया।

कोरोना वायरस का प्रभाव अभी लम्बे समय तक चलने वाला है परन्तु नवम्बर 2020 आते आते आर्थिक विकास का गति बढ़ती जा रही है। हालांकि खपत में बढ़ोत्तरी और कारोबारी गतिविधियां भी अभी तक पूरी रफ्तार से नहीं चल सकी है। केन्द्र सरकार ने राहत का 20 लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज मई 2020 में दे दिया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक भी मार्च 2020 से अब तक ब्याज दरों में 115 बेसिक पांइटस की कमी कर चुका है। अभी सरकार यह भी निरन्तर संकेत दे रही है कि अर्थव्यवस्था को बुरे प्रभाव से बचाने हेतु और भी कदम उठाये जा सकते है।

कोरोना के कारण लाखों लोगों का रोजगार छिन गया था जिसमें अधिकांश वे लोग है जो छोटा–मोटा कार्य करके प्रतिदिन रोजी रोटी कमाते थे। यदि कोरोना का दूसरा आक्रमण प्रभावकारी ढंग से नहीं रोका गया तो सरकारी व्यय बढ़ जायेगा, मंहगाई भी बढ़ जायेगी तथा सरकार को व्यापक आर्थिक तंगी की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

सभी घटकों पर ध्यान देने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में सितम्बर 2020 माह से सकारात्मक बढोत्तरी देखी जा रही है। यदि मौसम व प्रकति ने सब कुछ ठीक रखा तो अर्थव्यवस्था में मजबूती आती चली जायेगी तथा यह मजबूत स्थाई प्रकति की होगी।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

18–27 अगस्त 2020 के बीच 50 अर्थशास्त्रियों की ओर से किये गये सर्वे के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 18.3 प्रतिशत सिकुड़ गई जबकि इससे पूर्व 20 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। अर्थव्यवस्था की यह स्थिति 1990 के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रही है।

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 की प्रथम तिमाही में ही 3.0 प्रतिशत सुधार के संकेत प्राप्त होने की आशा है तथा मार्च 2021 तक आर्थिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत से कम ही रहने कर उम्मीद है। अच्छे मानसून के कारण सुधार के कुछ संकेत देखने को मिल रहे है। परंतु कारोबार में अभी भी कमजोरी बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंड़िया भी बढ़ती मंहगाई से चिन्तित है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली तिमाही में रिजर्व बैंक 25 बेसिस पांइटस की और कमी लाकर अपने रेपो रेट को 3.75 प्रतिशत कर सकता है। 50 में से 20 अर्थशास्त्रियों का यह भी अनुमान है कि इन हालातों में रिजर्व बैंक अर्थवव्यवस्था में ज्यादा दखल नहीं देगा। कुछ अर्थशास्त्री यह भी मानते है कि अर्थव्यवस्था को सुध ाारने में अभी दो वर्ष का समय और लग सकता है भार्त यह कि लॉकड़ाउन के उपरान्त रफ्तार पकड़ती अर्थव्यवस्था में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कोविड़ 19 के मामले निरंतर कम होते जा रहे है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार जीड़ीपी में 44 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले देश के आठ राज्यों में कोरोना से रिकवरी दर काफी तेजी से बढ़ रही है। तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, बिहार में रिकवरी दर 90 प्रतिशत हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, राजस्थान में रिकवरी दर 80 प्रतिशत हो गई है। परन्तु रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी

वर्तमान में देश का चालू खाता सुदृढ़ स्थिति में दिखाई दे रहा है। परन्तु इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि देश के निर्यात की गिरावट मार्च २०२० से पूर्व हो गई थी।

के अभी समाप्त होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे है।

इस समय रिकवरी से ज्यादा से ज्यादा उपाय करके कोरोना संक्रमण की दर को बहुत न्यून करने के उपाय किये जाने चाहिए इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए इससे संबंधित पक्षों को सामने आने की आवश्यकता है। लोगों, सामान व माल की आवाजाही पर प्रतिबंध लगभग हटा लिया गया है। सितम्बर 2020 माह से पैट्रोल, बिजली की खपत बढ़ने का संकेत यह कि अब उद्योगों में उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा व्यापारिक कार्यो से लोगों का आना जाना बढ़ता जा रहा है। जीएसटी में बढ़ोत्तरी से भी आर्थिक स्तर पर रिकवरी के संकेत मिल रहे है।

वित्त मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र से बहुत उम्मीद लगाये बैठा है क्योंकि अक्टूबर व नवम्बर 2020 माह में त्यौहारों का मौसम है तथा केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को भारी आर्थिक सहायता भी दी है। अभी भी भारत का प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग दबाब में है तथा विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत् है। रिजर्व बैंक की सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 (कोरोना से पूर्व) भारतीय उपभोक्ता का विश्वास 115 अंक था जो मई 2020 में 98 अंक रह गया तो इससे यह समझा गया था कि अर्थव्यवस्था की मौलिक स्थिति विपरीत दिशा में है।

वर्तमान में देश का चालू खाता सुदृढ़ स्थिति में दिखाई दे रहा है। परन्तु इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि देश के निर्यात की गिरावट मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी। 2019–20 में निर्यात में गिरावट पांच प्रतिशत थी अब कोरोना के कारण यह गिरावट वर्तमान में भी जारी है। कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई है। अतः वर्तमान में चालू खाते में जो मजबूती है वह देश के आंतरिक हालातों की कमजोर स्थिति के कारण से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ऑटों सेक्टर में बिक्री बढ़ रही है। रेलवे ने अधिक माल की ढुलाई की है। जीएसटी से भी अधिक संग्रह हुआ है। बिजली का उत्पादन भी बढ़ा है कोयले का उत्पादन भी बढ़ा, पैट्रोल की बिक्री बढ़ी है परन्तु डीजल की बिक्री 7 प्रतिशत (सितम्बर 2020) में कम रही परन्तु अगस्त 2020 के मुकाबले डीजल की बिक्री 22 प्रतिशत अधिक रही है। इंड़ियन मैन्यूफैक्चरिंग मैनेजर्स इंड़ेक्स (पीएमआई) 56.8 के स्तर पर पहुंच गया जो वर्ष 2012 के जनवरी माह के बाद से सबसे अधिक है। इस 2020 के प्रारम्भ में पीएमआई 52 के स्तर पर था।

सभी घटकों पर ध्यान देने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में सितम्बर 2020 माह से सकारात्मक बढोत्तरी देखी जा रही है। यदि मौसम व प्रकृति ने सब कुछ ठीक रखा तो अर्थव्यवस्था में मजबूती आती चली जायेगी तथा यह मजबूत स्थाई प्रकृति की होगी। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

आयात-कर में वृद्धि से खुलेगा स्वदेशी उद्योगों का रास्ता

देश की अर्थव्यवस्था लगातार मंद पड़ती जा रही है। जून में तमाम संस्थाओं का आकलन था कि इस वर्ष देश की आय यानी जीडीपी में 5 प्रतिशत की गिरावट आएगी जो वर्तमान आकलन के अनुसार 10 प्रतिशत की गिरावट में तब्दील हो गई है। मेरा अनुमान है कि आने वाले समय में गिरावट की दर में और वृद्धि होगी क्योंकि करोना का संकट शीघ्र ही दूर होता नहीं दिख रहा है। इस पृष्ठभूमि में सरकार में उत्साह है कि ट्रैक्टर और निजी कारों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। विशेषकर ट्रैक्टर की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में गत माह 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कार एवं मोटर साइकिल की बिक्री में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रश्न है कि जब देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है तो ट्रैक्टर, कार और मोटर साइकिल की खरीद क्योंकर बढ़ रही है? मेरा आकलन है कि प्रवासी मजदूरों की कमी होने के कारण देश के तमाम किसानों ने मजबूरी में ट्रैक्टर खरीदे हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक यातायात जैसे बस और मेट्रो आदि की आवाजाही बंद होने के कारण लोगों ने कार और मोटर साइकिल खरीदी है। यह खरीद खुशहाली में नहीं की गई है। व्यवसाई और किसान के सामने इनकी खरीद के आलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये खरीद बीमारी के समय खरीदे गए मसाज करने की मशीन की तरह है। विकट परिस्थिति में की गई खरीद को विकास का जामा नहीं पहनाना चाहिए।

इस परिस्थिति में सरकार ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे निवेशकों और उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में ऋण दें। निवेशक द्वारा लिए गये ऋण और उपभोक्ता के द्वारा लिए गये ऋण के चरित्र में मौलिक अंतर होता है। निवेशक ऋण लेकर उसका निवेश करता है जैसे वह कारखाना लगाता है अथवा दुकान खोलता है। इन निवेश से निवेशक समेत देश को अतिरिक्त आय होती है जो पूर्व में नही हो रही थी। जैसे किसी निवेशक ने बिजली के स्विच बनाने का कारखाना लगाया तो उस स्विच के उत्पादन में निवेशक और देश दोनों को ही

आयात करों में वद्धि होने से देश में अपना उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और खपत एवं उत्पादन का सुचक्र पुनः स्थापित हो जाएगा। देशवासियों की निष्ठा स्वदेशी उत्पादों की खपत में बढ़ेगी साथ ही सरकार की साख भी बढ़ेगी।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

अतिरिक्त आय होगी। उस आय से निवेशक ऋण और ब्याज दोनों की आदायगी कर लेता है। इस प्रकार का ऋण लाभप्रद होता है। लेकिन खपत के ऋण का चरित्र बिलकुल अलग होता है। खपत के लिए यदि आज आप ऋण लेते हैं तो उस ऋण पर दिए गये ब्याज से अंततः आपकी खपत कम होती है। जैसे मान लीजिये आपके पास आज 100 रूपये की आय है और इसमें तत्काल वृद्धि के लिए आपने बैंक से 100 रूपये का ऋण लिया। इस 100 रूपये के ऋण पर आप आने वाले वर्ष में 15 रूपये का ब्याज अदा करेंगे और 15 रूपए मूल ऋण की अदायगी करेंगे। इस प्रकार आने वाले वर्ष में आपके पास खर्च के लिए 100 के स्थान पर केवल 70 रूपये रह जायेंगे। यानि वर्तमान में आपकी खपत 100 रूपये से बढ़कर 200 रूपये अवश्य हो जायेगी लेकिन आने वाले लम्बे समय में वह 100 से घटकर 70 रूपए हो जायेगी। ये ऋण अनुत्पादक होने के कारण नयी आय पैदा नही करते हैं और अंत में उपभोक्ता पर बोझ बन जाते हैं। वर्तमान समय में जब आम आदमी की आय पहले ही दबाव में है उसे ऋण लेकर अपने उपर ब्याज का अतिरिक्त बोझ नहीं लेना चाहिए। उपभोक्ता को ऋण देकर बाजार में मांग बढ़ाना समस्या का उपाय नहीं है।

बाजार में मांग बढ़ाने का दूसरा उपाय है कि सरकार द्वारा कुछ रकम लोगों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाए। सरकार ऋण लेकर यह रकम ट्रान्सफर कर सकती है। लेकिन लिए गए ऋण कि रकम की भरपाई सरकार को अगले वर्ष टैक्स लगाकर उसी जनता से करनी पड़ेगी। इस प्रकार के ट्रांसफर से केवल तत्काल लाभ होगा जबकी आने वाले समय में नुक्सान होगा बिलकुल वैसे ही जैसे ऋण लेने से होता है। दूसरा उपाय है कि सरकार

आयात कर दो गुना कर देने से आयात की मात्रा में कुछ कमी आएगी फिर भी मेरा अनुमान है कि सरकार को 150 करोड़ की अतरिक्त आय हो सकती है।

नोट छापे। लेकिन यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स होता है क्योंकि नोट छपने से महंगाई बढती है और पुनः आम आदमी कि क्रय शक्ति में गिरावट आती है। अतः सरकार यदि टैक्स लगाकर अथवा नोट छापकर रकम ट्रान्सफर करती है तो इससे अल्पकाल में लाभ हो सकता है लेकिन आने वाले समय में इसका नुकसान होगा।

जनता के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर करने के लिए आय अर्जित करने का तीसरा उपाय है कि सरकार आयात कर में वृद्धि करे। बीते 6 वर्षों में सरकार के राजस्व में आयात कर के हिस्से में भारी गिरावट आई है। पूर्व में सरकार के कुल राजस्व में 18 प्रतिशत आयात कर का होता था आज यह घटकर 12 प्रतिशत रह गया है। अर्थ हुआ कि सरकार ने आयात करों में कटौती करके आयातों को प्रोत्साहन दिया है और राजस्व में हानी बर्दाश्त की है।

बताते चलें कि विश्व व्यापार संगठन में हमने आश्वाशन दे रखा है कि कि हम औसत 48 प्रतिशत से अधिक आयात कर नहीं लगायेंगे। लेकिन वर्तमान में हमारे आयात कर 20 प्रतिशत के औसत से भी कम है। आयात कर को बढ़ाने में विश्व व्यापार संगठन आड़े नहीं आता है। इसलिए सरकार के पास विकल्प है कि बीते 6 वर्षों से लागू की जा रही हानिप्रद नीति का त्याग करे और आयात करों में भारी वृद्धि करे। वर्तमान में जो औसत आयात कर 20 प्रतिशत है उसको तत्काल दो गुना करके 40 प्रतिशत कर दे। ऐसा करना विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत संभव है। वर्तमान में सरकार को आयात कर से 170 लाख करोड़ रूपये प्रति वर्ष का राजस्व मिल रहा है।

आयात कर दो गुना कर देने से आयात की मात्रा में कुछ कमी आएगी फिर भी मेरा अनुमान है कि सरकार को 150 करोड़ की अतरिक्त आय हो सकती है। इस रकम से देश के 135 करोड़ नागरिकों को प्रत्येक के खाते में 1100 रूपये अथवा प्रत्येक परिवार के खाते में 5500 रूपये प्रति वर्ष की रकम ट्रांसफर की जा सकती है। इस रकम से देश की जनता बाजार में माल खरीद सकती है। बाजार में मांग उत्पन्न हो जायेगी। इसके साथ ही आयात करों में वृद्धि होने से देश में अपना उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और खपत एवं उत्पादन का सुचक्र पुनः स्थापित हो जाएगा। देशवासियों की निष्ठा स्वदेशी उत्पादों की खपत में बढ़ेगी साथ ही सरकार की साख भी बढ़ेगी। मेरे आकलन में देश को मंदी से उबारने के लिए सरकार के पास आयात कर की दरों में वृद्धि के आलावा दूसरा विकल्प नहीं है। ❑❑

सब्जियों का भी तय हो समर्थन मूल्य

पिछले कई वर्षों से आलू और प्याज की कीमतें जिस गति से बढ़ती हैं, उसमें एक पैटर्न नजर आता है। वह पैटर्न यह है कि हर बार इसी मौसम में (अगस्त, सितंबर, अक्तूबर के दौरान) कहा जाता है कि बारिश के कारण फसलों का काफी नुकसान हो गया, जिसके चलते प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा पैटर्न यह नजर आता है कि जब भी चुनाव आता है, तो उससे पहले प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसका कोई न कोई राजनीतिक निहितार्थ जरूर होगा। इसके पीछे व्यापारी जो भी कारण बताएं, लेकिन एक साल मैंने देखा कि प्याज की पैदावार में मात्र चार फीसदी की गिरावट आई थी, लेकिन कीमतों में चार सौ फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसके पीछे कारण यह है कि प्याज का व्यापार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है और वे उसकी कीमत नियंत्रित करते हैं।

इस साल जब प्याज की कीमतें 80 से सौ रुपये प्रति किलो हो गई, तो सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है और आयात को भी मंजूरी दे दी है। मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि बरसात से फसल को नुकसान हुआ, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सरकारी वेबसाइट पर जो आधिकारिक आंकड़ा है, वह बता रहा है कि सितंबर में लासलगांव की मंडी, जो प्याज की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, में 38.84 फीसदी प्याज की ज्यादा आवक हुई है। और पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए, तो 53.17 फीसदी प्याज की आवक ज्यादा हुई है। यानी महाराष्ट्र की मंडियों में 19.23 लाख क्विंटल अधिक प्याज आया। फिर भी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो साफ है कि कोई तो बात है, जिसे हमें समझने की जरूरत है।

यह तो हुई प्याज की बात, पर आलू की कीमतें भी बढ़ी हैं। अभी बाजार में साठ रुपये प्रति किलो आलू उपभोक्ताओं को खरीदना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा आलू की पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे पड़े हैं, जहां 30.56 लाख टन आलू जमा है, फिर भी आलू की कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि आलू उत्पादकों का कहना है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा बीज के लिए है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि 31 अक्तूबर तक सभी कोल्ड स्टोरेज को खाली कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि कीमतों को नियंत्रण में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में जरूरत से 22 लाख टन ज्यादा आलू पड़ा हुआ है। साफ है कि बाजार में कमी पैदा करके कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के खुदरा और थोक भंडारण के लिए क्रमशः दो टन और पच्चीस टन की सीमा तय की है। इसका असर भी तुरंत दिखा, जिस दिन सरकार ने यह घोषणा की, उस दिन थोक में 8,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर थी, जो घटकर 6,000 रुपये पर आ गई। कीमतों के बढ़ने के पीछे जमाखोरी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है।

मगर अफसोस कि जमाखोरी पर हम आज तक नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। जमाखोरी का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पारित किया है, उसमें भंडारण की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि जमाखोरी अब वैध हो गई है। ऊपरी सीमा हटाने का क्या नतीजा हो सकता है, इसका अनुमान प्याज और आलू की बढ़ रही कीमत से लगाया जा सकता है। इस संशोधन से किसानों को तो कोई फायदा नहीं होगा, हां, उपभोक्ताओं को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देश के उपभोक्ता यह समझ रहे हैं कि ये तीनों कानून खेती से संबंधित हैं और उसका असर किसानों पर पड़ेगा। लेकिन आलू और प्याज

सरकार किसानों के लिए एक योजना लेकर आई थी 'टॉप' (टमाटर, ओनियन, पोटेटो), उसे और सुदढ़ करने की जरूरत है और सब्जियों का एक आधार मूल्य तय करना चाहिए, अगर कीमत उससे कम होती है, तो सरकार को हस्तक्षेप करके उसकी भरपाई किसानों को करनी चाहिए।

– देविन्दर शर्मा

के उदाहरण से पता चलता है कि ऊपरी सीमा हटाने से उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। यानी जिस चीज को विनियमित करना चाहिए था, या जिस बड़ी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करना चाहिए था, वह न करके बड़े खिलाड़ियों को भंडारण की अनुमति दे दी गई। इससे कीमतों में जो छेड़छाड़ होती है और इसका जब तक उपभोक्ताओं को पता चलता है, तब तक वे भारी नुकसान उठा चुके होते हैं।

कीमतों को नियंत्रित करने का एक तरीका तो यह है कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अन्य तमाम संसाधन हैं, तो क्यों न हम फसल उत्पादन से पहले ही यह जान लें कि हमें पूरे देश के लिए कौन–सी फसल कितनी चाहिए, और किस राज्य में किस फसल की कितनी जरूरत है और उस हिसाब से हम उसका मैपिंग करें और आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करें। दूसरा तरीका यह है कि बिचौलियों को नियंत्रित करने के लिए हमें एक तंत्र विकसित करना होगा। छोटे व्यापारी और बिचौलियों को हम खराब मानते हैं, पर बड़े व्यापारी व बिचौलिए भी उससे कम नहीं हैं। आप देखेंगे कि स्थानीय बाजार में अभी आलू, प्याज की जो कीमत है, उससे कम अमेजन या फ्लिफकार्ट पर नहीं है। तो दोनों में फर्क क्या है? किसान को मक्के का दाम अभी आठ से नौ रुपये प्रति किलो मिल रहा है और पैकेटबंद होकर जो मक्का बाजार में बिकने आ रहा है, उसकी कीमत 45 से 50 रुपये प्रति किलो है। हम समझते हैं कि बाजार की अदृश्य शक्तियां अपने–आप इसमें संतुलन ले आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

जब भी आलू, प्याज के व्यापारियों पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है, तो हंगामा मच जाता है कि इससे व्यापारियों में गलत संदेश जाएगा। पर जमाखोरी रोकने के लिए ऐसा करने की जरूरत है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तब सारे देश में उपभोक्ताओं के हित में हंगामा होता है। पर जब किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलती है और वह अपनी उपज सड़कों पर फेंकता है, तब कोई हंगामा नहीं होता। क्या कारण है कि सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए ही सरकार सक्रिय होती है, किसानों के लिए नहीं? किसान जब अपनी फसल को औने–पौने दाम में बेचने के बजाय उसे सड़कों पर फेंकता है, तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी और उसकी आजीविका पर कितना असर पड़ता होगा, इसे समझने की जरूरत है। सरकार किसानों के लिए एक योजना लेकर आई थी 'टॉप' (टमाटर, ओनियन, पोटेटो), उसे और सुदृढ़ करने की जरूरत है और सब्जियों का एक आधार मूल्य तय करना चाहिए, अगर कीमत उससे कम होती है, तो सरकार को हस्तक्षेप करके उसकी भरपाई किसानों को करनी चाहिए।

केरल ने सभी सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इससे सबक लेकर सब्जियों के लिए एक आधार मूल्य पूरे देश में तय होना चाहिए। यही किसानों की असली आजादी है। पंजाब के किसान भी इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे भी जरूरी है आरसेप से दूरी

मौजूदा करोना संकट की वजह से डावांडोल वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार के समझौते में भारत शामिल नहीं है। यह कोई मामूली घटना नहीं है। इसे लेकर देश के चिरअसंतुष्ट वाममार्गी विचारक काफी हाय–तौबा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत के समझौते में शामिल न होने को आर्थिक रूप से आत्म–विनाश की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन इसके उलट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने तथा चीन को रणनीतिक रूप से परास्त करने की गरज से भारत का समझौते में शामिल नहीं होना, दीर्घकालिक फायदे का सबब माना जा रहा है। उम्मीद है कि भारत के घरेलू उद्योगों को गुणात्मक गति मिलेगी, वहीं चीन की हेकड़ी भी कम हो जाएगी।

भारत ने आत्मनिर्भर बनने का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के लिए घरेलू उद्योगों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है जितना कि मुक्त व्यापार से होने वाले लाभ को अर्जित करना। भारत चीन की चालाकी भरी नीतियों को भली बात समझ चुका है। अगर ठोस नीतियों के अभाव में हम अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए खोल देंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, हम पहले ही देख चुके हैं। सिर्फ बाजार और कारोबार के दम पर ही चीन भारत पर किस तरह से हावी होता रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। चीन निर्मित सामानों के भारतीय बाजार में भारी आवक के कारण देशी लघु एवं मध्यम उद्योगों की कमर टूट गई थी। भारत के अधिकांश उत्पादक इकाइयां एक तरह से ट्रेडर की भूमिका में खड़ी हो गई थी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का दौर खुली अर्थव्यवस्था का दौर है। ऐसे में बड़े व्यापारिक समझौतों से अपने को अलग रखना कई बार घाटे का सौदा भी हो सकता है, लेकिन जब खुद के कारोबार और घरेलू उद्योगों के संकट का प्रश्न आता है तो राष्ट्रहित सर्वोपरि हो जाता है। मौजूदा समझौते से भारत के किनारे करने के पीछे आर्थिक कारणों से भी ज्यादा जरूरी रणनीतिक संदर्भ का है। भारत ने आरसीईपी से खुद को बाहर रखने का फैसला गत वर्ष नवंबर के महीने में ही सुना दिया था, लेकिन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच चीन के साथ हालिया तनाव में वृद्धि के कारण भी भारत के इस समझौते में शामिल नहीं होने की महत्वपूर्ण भूमिका है।

एक उभरती हुई ताकत के नाते भारत ने समझौते से बाहर रहकर संदेश दिया है कि व्यापारिक बातचीत में भारतीय हितों की अनदेखी नहीं हो सकती है। आठ देशों के साथ मिलकर भारत उन नीतियों पर काम कर रहा है, जो आने वाले दिनों में चीन को झुकने के लिए भी मजबूर करेगी।

– स्वदेशी संवाद

मालूम हो कि वर्ष 2019 में भारत व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी के मेगा सौदे से बाहर निकलने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि यह समझौता भारतीय व्यापारिक हितों के प्रतिकूल है, इसलिए इसमें शामिल होना भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए ठीक नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच ने आरसीईपी समझौते का विरोध किया था। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा था कि यह समझौता प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया', 'किसानों की आय दुगनी करना', 'डिजिटल इंडिया', 'भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना', आदि अनेकों सपनों को धूमिल कर देने वाला है। समझौते से बाहर निकलने की घोषणा के कुछ ही दिन बाद देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में रामनाथ गोयनका में एक व्याख्यान देते हुए कहा था कि हम कोई बुरा सौदा करते हैं, उससे अच्छा है कोई सौदा न किया जाए। उस दौरान विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा था कि भारत में व्यापारिक हितों के मद्देनजर बहुत अंत तक बातचीत की तथा अपनी तरफ से सार्थक प्रयास जारी रखा था। क्योंकि भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन जब भारतीय हितों की अनदेखी कर समझौते पर आगे बढ़ने की पेशकश हुई, तो भारत खुद

को अलग कर लिया। यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय हित का दृष्टिकोण था।

बाहर निकलने की घोषणा के बावजूद भारत सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा था कि भारत ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। इस क्रम में कोविड–19 महामारी आने के पूर्व व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के मद्देनजर विदेश मंत्री ने यह संदेश दिया था कि अगर भारतीय हितों की सुरक्षा पर काम करते हुए सभी सदस्य देश आगे बढ़ते हैं तो भारत को इस समझौते से कोई परहेज नहीं है, लेकिन भारत इसमें तभी शामिल होगा जब भारत के राष्ट्रीय हित सुरक्षित होंगे।

लेकिन दुनिया भर में कोरोना महामारी के विस्तार के बाद परिदृश्य बदल गए। चीनी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। वहीं चीन की आक्रामकता दक्षिणी चीन सागर से लेकर भारत चीन सीमा तक फैल गई। जवाब में भारत ने भी चीन के खिलाफ आर्थिक आक्रामकता दिखानी शुरू की। खासकर डिजिटल डोमिन में चीनी एप्स पर लगाम लगाकर भारत ने चीन को यह संकेत दिया कि बीजिंग भारतीय हितों की अनदेखी कर भारत में धड़ल्ले से अपना व्यवसाय नहीं कर सकता। गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत का मिजाज बिल्कुल बदल गया। भारतीय जनता ने चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया। चीन के साथ आर–पार के लिए भारतीय जन–मन तैयार हो गया।

इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक उच्चस्तरीय बातचीत के दौरान आरसीईपी को लेकर एक बहुत पतली बारीक व्याख्या देते हुए कहा कि क्या हमने वैश्वीकरण की नीति को इसलिए स्वीकार किया था कि हम अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और दुनिया के साथ तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर हां, तो जमीनी हकीकत इसके उलट है। हमें ईमानदारी से आज इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि क्या इन सभी एफटीए के कारण भारत अधिक प्रतिस्पर्धी बना है? विनिर्माण क्षेत्र में संपन्नता आई है, तकनीकी नवीनता की ऊंचाई प्राप्त हुई है, हमारा निर्यात फल–फूल रहा है, अगर इसका उत्तर 'ना' में है, तो राष्ट्रीय हित को आगे कर हमें ऐसे समझौते से बाहर रहना होगा तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना होगा।

उन्होंने यह भी जोड़ा था कि हमें एक बात याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय क्षमता के निर्माण पर जोर देना हमें वैश्विक विरोधी नहीं बनाता। इसके विपरीत मेरा तर्क है कि यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो आप अन्य लोगों के सामानों के लिए बाजार के रूप में समाप्त हो जाते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक दृढ़ता से भाग लेने के लिए हमें मजबूत घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना ही होगा और नुकसान के अंतराल को खत्म करने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे।

बीते 15 नवंबर को वियतनाम में हुए 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से भारत बाहर है, लेकिन सदस्य देशों ने भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल रखा है और यह भी कहा है कि इस मंच का दरवाजा भारत के लिए खुला हुआ है। भारत जब भी आना चाहे, इसमें शामिल हो सकता है।

एक ऐसे समय में जबकि वैश्वीकरण ने अपनी चमक खो दी है, दुनिया के अधिकांश देश अपनी सीमा के भीतर ही संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत ने अपर्याप्त सुरक्षा उपायों तथा सीमा शुल्क कम करने से कृषि और डेयरी दोनों क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभावों को आगे कर, अपना कदम इस समझौते से पीछे खींच लिया था और आत्मनिर्भर भारत के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है।

ज्ञात हो कि आरसीईपी के दरवाजे भारत के लिए स्थाई रूप से बंद नहीं होने के आर्थिक और रणनीतिक कारण हैं।

आर्थिक कारण

स्पष्ट रूप से भारत का निर्णय आरसीईपी व्यापार के क्षेत्र में चीन के प्रभाव से प्रभावित है, क्योंकि नई दिल्ली के पास पहले से ही आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अलग–अलग सौदे हैं। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी बातचीत चल रही है। भारत और सिंगापुर के बीच सीईसीए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता की दो समीक्षाएं पूरी हो चुकी है। भारत भूटान के बीच व्यापार वाणिज्य और पारगमन के समझौता को 2016 में नवीनीकृत किया गया था। भारत नेपाल के मध्य संधि को 2016 में विस्तारित किया गया था। भारत कोरिया के मध्य सीपीए की समीक्षा के लिए आठ दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। भारत, जापान एवं आसियान के सदस्यों के बीच सीजीपीए एवं एफडीए समीक्षा हुई है, जो आगे अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत करने के लिए भारत के हित में काम करेगा। वही आंकड़े बताते हैं कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा खराब है।

रणनीतिक कारण

रणनीतिक रूप से भारत को चीन की समुद्री चुनौती के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। भारत इस पर आगे भी बढ़ रहा है और क्वाड देशों के साथ नई दिल्ली का गठबंधन, भारत प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के दबदबे को चुनौती देने में मदद करेंगे। एक उभरती हुई ताकत के नाते भारत ने समझौते से बाहर रहकर संदेश दिया है कि व्यापारिक बातचीत में भारतीय हितों की अनदेखी नहीं हो सकती है। 8 देशों के साथ मिलकर भारत उन नीतियों पर काम कर रहा है जो आने वाले दिनों में चीन को झुकने के लिए भी मजबूर करेगी।❑❑

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण की कानूनी जटिलताएँ

परम आदरणीय श्री दत्तोपांत ठेंगड़ी जी के विचारों, मूल्यों, सिद्धांतों पर स्थापित स्वदेशी आंदोलन और हजारों स्वदेशी उद्यमियों के अथक परिश्रम, पूंजी और लगन से छोटे बड़े उद्योग देश के हर भाग में लगाए गए। यहाँ स्वदेशी उद्योग से मेरा तात्पर्य केवल कुटीर, ग्रामीण, छोटे और घरेलू उद्योगों से नहीं बल्कि सभी स्वदेशी उद्योगों (इंडस्ट्रियल) से जैसे स्टील एवं अन्य धातु, औषधि, आटोमोबाइल, खाद्य, सीमेंट, कोइर, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, डेयरी, आभूषण, एलेक्ट्रोनिक, खाद, फर्नीचर, टेक्नालजी, जूट, लेदर, खनिज, कागज़, पेंट, प्लास्टिक आदि सभी से है। विदेशी व्यापार, उद्योग के समय समय पर विक्षोभ, प्रतिस्पर्धाओं, विषम परिस्थितिकी तंत्र, वित्त, आधुनिकीकरण, ट्रेड यूनियन आदि के कारण स्वदेशी उद्योगों के नुकसान, बंदी का कारण बने हैं। परंतु हानि, बंदी से उबरने के लिए कानूनी प्रक्रिया बहुत ही जटिल, दीर्घकालीन और महंगे हैं।

पूर्व में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) का गठन बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (सीका) के अंतर्गत किया गया जिसके प्रावधानों के अनुसार बीमार कंपनियों का उद्धार निमित्त था। सीका की धारा 3 के अंतर्गत बीमार कंपनी की परिभाषा निहित थी। जिस कंपनी की नेट वर्थ उसके पिछले वर्षों के नुकसान से समाप्त हो जाए, उसको बीमार (सिक) कंपनी परिभाषित किया गया।

ऐसी कंपनी को बीआईएफआर के अंतर्गत रजिस्टर करने का प्रावधान था जिसके अनुसार वित्तीय पुनर्निर्माण, बीमार औद्योगिक कंपनी के प्रबंधन में बदलाव, या अधिग्रहण के द्वारा कंपनी का प्रबंधन (प्रबंधन में परिवर्तन), समामेलन, इकाई की बिक्री या लीज,स्टाफ का युक्तिकरण आदि तरीकों से पुनः परिवर्तन स्कीम द्वारा निस्तारण किया जाता था।

परंतु इस प्रक्रिया में कई वर्ष का समय लगता था जैसे पुनःपरिवर्तन स्कीम का बीआईएफ़आर से अनुमोदन होना, संबन्धित विभागों – बैंक, आयकर विभाग, क्रेडिटर्स, राज्य सरकार आदि से इस स्कीम का अनुपालन, फिर इकाई द्वारा बीआईएफ़आर की शर्तों का अनुपालन। उसके बाद और एक राउंड प्रक्रिया बीआईएफ़आर के अपिलेट ट्रिब्यूनल में चलती थी। यह उल्लेखनीय है की बीआईएफ़आर की कार्यवाही के दौरान बेंकों के लोन, लेनदारों के कर्ज़, केंद्र और राज्य सरकाओं के टेक्स पर रोक लग जाती है। इतने लंबी अवधि में औद्योगिक इकाई बिलकुल मृतप्राय हो जाती थी या ठप्प हो जाती थी। इसलिए बीआईएफ़आर की स्कीम की कोई औचित्य या सार्थकता नहीं रह जाती थी।

बहुत से केसों में औद्योगिक इकाइयां अपने परिश्रम, युक्ति, स्रोतों और सामर्थ्य से अपना खोया हुआ नेट वर्थ वापस ले आती थी और व्यापार में लाभ की स्थिति प्राप्त कर लेती थीं

मात्र एक लाख रुपये के न्यूनतम देनदारी के लिए इनसोलवेएसी रेसोल्यूशन प्रारम्भ किया जा सकता है। आईबीसी फ़ाइनेंशल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए इनसोलवेएसी रेसोल्यूशन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता है। फ़ाइनेंशल क्रेडिटर्स केवल वित्तीय लेनदेन से संबन्धित हैं जबकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स गूड्स और सर्विसेस से भी संबन्धित हैं।

– विनोद जोहरी

परंतु बीआईएफ़आर के शिकंजे से निकालना उनके लिए बहुत कठिन काम था और दुर्भाग्य से औद्योगिक इकाई के वकील, विभिन्न विभागों के वकील और प्रतिनिधि अपने निहित स्वार्थ के कारण उस औद्योगिक इकाई को बीआईएफ़आर और अपील की प्रक्रियाओं में कई वर्षों तक उलझा कर रखते थे। इस कारण से वह इकाई अपना व्यापार नहीं चला पाती थीं। इसके विपरीत ऐसे भी मामले आए हैं जिनमें औद्यगिक इकाई के मालिकों ने कपट द्वारा बेंको के लोन, लेनदारों की रकम हड़प लिए और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आरोपित टेक्स का भुगतान कई वर्षों तक नहीं किया और इकाई में नेट वर्थ समाप्त होने के बाद बीआईएफ़आर में रजिस्ट्रेशन करवा कर गायब हो गए। बहुत केसों में बीआईएफ़आर की प्रक्रिया बीस साल तक चलती रहती थी।

इन सब विफलताओं के कारण बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (सीका) को कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन के साथ 25 नवंबर 2016 को पारित नोटिफ़िकेशन द्वारा निरस्त कर दिया गया और 1 दिसंबर 2016 को पूरी तरह निरस्त्रीकरण अमल में आ गया। इसी के साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) माननीय राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 28 मई 2016 द्वारा अमल में आ गया। इसके द्वारा सिक कंपनी की परिभाषा बादल कर इनसोलवेंट कंपनी कर दिया गया और नेट वर्थ के स्थान पर तरलता अनुपात को मान्य किया गया। दिनांक 1 जून 2016 को पारित नोटिफ़िकेशन द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 11 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देश भर विभिन्न राज्यों में स्थापित किए। इन का कार्य क्षेत्र कंपनियों, एलएलपी और लिमिटेड दायित्व वाली ईकाइयां तक सीमित है। केंद्र सरकार ने एक रेग्युलेटरी अथॉरिटी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दिनांक 1 जनवरी 2016 को गठित की। जिसके अंतर्गत इंसोल्वेंसी रेसोल्यूशन प्रॉफेश्नल एजेन्सीज और अन्य तरलता और इंसोल्वेंसी से संबन्धित कार्य निर्धारित किए गए।

मात्र एक लाख रुपये के न्यूनतम देनदारी के लिए इनसोलवेएसी रेसोल्यूशन प्रारम्भ किया जा सकता है। आईबीसी फ़ाइनेंशल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए इनसोलवेएसी रेसोल्यूशन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता है। फ़ाइनेंशल क्रेडिटर्स केवल वित्तीय लेनदेन से संबन्धित हैं जबकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स गूड्स और सर्विसेस से भी संबन्धित हैं।

एनसीएलटी किसी भी लेनदार की एप्लिकेशन 14 दिन के अंदर स्वीकार या रिजेक्ट कर सकता है। एक बार एप्लिकेशन स्वीकार होने के बाद देनदार कंपनी का प्रबंधन सस्पैंड हो जाता है और दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) प्रबंधन को टेक ओवर कर लेता है। इसके पश्चात अधिस्थगन आदेश के बाद देनदार कंपनी के विरुद्ध कोई कानूनी प्रक्रिया, संपत्तियों का स्थानांतरण आदि पर रोक लग जाती है। 180 दिन के अंदर आईआरपी रेसोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को प्रस्तुत करते है। आगे इसी प्रक्रिया में कॉर्पोरेट देनदार की पुनरुद्धार या तरलता की कार्यवाही चलती रहती है।

यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है की एनसीएलटी के रेसोल्यूशन प्रक्रिया में किसी समय सीमा का न तो प्रावधान निहित है और न ही किसी समय सीमा का सम्मान होता है बीआईएफ़आर की तरह। और अधिक गंभीर समस्या यह है की जो दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) नामित किए जाते है वो इनसोलवेंट कंपनी का प्रबंधन तो टेक ओवर कर लेते हैं परंतु उनको व्यापार का कोई अनुभव नहीं होता और न ही वह कंपनी के व्यापार से कोई लायल्टी रखते हैं। मात्र कानूनी कामकाज के अलावा उनका कोई और तात्पर्य नहीं होता। इतनी लंबी कानूनी कार्यवाही में निश्चित रूप से चलती हुई कंपनी के व्यापार का बहुत नुकसान हो जाता है और वह कंपनी म्रतप्राय हो जाती है फिर उसके पुनरुद्धार का कोई तत्व या सार्थकता नहीं रह जाती।

मैंने 2 वर्ष के संयुक्त आयकर आयुक्त के कार्यकाल (2012–14) में बीआईएफ़आर की कम से कम 500 कंपनियों की पुनरुद्धार प्रक्रिया देखी जिनमे 10–15 साल से कोई प्रगति नहीं हुई। यूनिटों की मशीनें जंग खा गईं, टेक्नालजी पुरानी हो गयी, बाज़ार खत्म हो गया, कंपनी की बीमारी को लेकर उसकी साख समाप्त हो गयी। आईबीसी 2016 के कई सेमिनार में सहभागी हुआ तो प्रश्न किया कि अनुभवहीन आईआरपी कैसे बीमार कंपनी को जीवन देगा तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। मेरे किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला।

मेरा तात्पर्य इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (आईबीसी) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरपी या बीआईएफआर पर प्रश्न खड़े करने का नहीं है। मेरा केवल इतना ही विमर्श है कि बहुत बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान जिनकी कई कंपनियाँ और यूनिटें हैं भले ही इन प्रक्रियाओं को आगे ले जा सकें क्योंकि उनके पर्याप्त संसाधन हैं, उनके पास एक लीगल टीम कार्यरत नियमित रूप से रहती है लेकिन छोटे और माध्यम उद्योग इन प्रक्रियाओं से बहुत बाधित होते हैं। न उनके पास इतनी पूंजी होती है न इतने संसाधन न इतनी सामर्थ्य। जब भी कभी व्यापार में बहुत संघर्ष की स्थिति हो तो परिश्रम, आधुनिकीकरण, नवोन्मेष की गति स्थायी रखें और बाज़ार की गति से सामंजस्य बनाकर रखें।❑❑

जीएम फसलें
वैज्ञानिकता, विवाद और समाधान

जीएम फसलों को कृषि प्रयोगशाला से परीक्षण के लिये एक बार खेतों के प्राकृतिक वातावरण में लाये जाने के बाद उत्पन्न जैविक व पारिस्थिति असन्तुलन जैसी समस्याओं को नियन्त्रित नहीं किया जा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा सुरक्षित व लाभदायक जैविक फसलों की वैज्ञानिक आधार कर पुष्टि करके खेती के लिये अनुमति प्रदान की जाये।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन दावों के आधार पर जीएम फसलों से उत्पन्न होने वाले मानव स्वास्थ्य, कृषि व पर्यावरणीय खतरों को निर्विवाद करने का प्रयास करती है। अमेरिका की दिग्गज कृषि–रसायन कम्पनी मोन्सेंटो खेती में विकास एवं नवाचार लाने के नाम पर अप्राकृतिक जीन स्थानान्तरण को पूर्णतः वैधानिक बताकर किसानों को आर्थिक लाभ देने तथा विश्व में खाद्य आपूर्ति की समस्या से निपटने का दावा करती है।

अमेरिकी मोंसेटों कम्पनी यह भी दावा करती है कि शहरीकरण के कारण खेती योग्य भूमि एक ओर समाप्त होती जा रही है, वहीं दूसरी और चीन, भारत, बांग्लादेश आदि देशों में तेज रफ्तर से बढ़ रही जनसंख्या के भरण–पोषण की व्यवस्था करने के लिये जीनान्तरित फसलों से उत्पादन क्षमता और पोषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अधिक उर्वर होने के साथ इनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज्यादा उगाये जाने वाले खाद्यान्न मक्का और बैंगन हैं। बैंगन में फ्रूट एड शूट बोरर नामक कीड़ा 80 फीसदी फसल खराब कर देता है किसानों को इस फसल के पांच महीने के चक्र में 30 से 70 बार तक कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है किसान जीएम तकनीक के जरिये तैयार पौधों से कीड़ा लगने (बैक्टीरियल विल्ट) की समस्या से निजात पा सकते हैं।

जीएम तकनीक से तैयार पौधे सूखा व बाढ़ प्रतिरोधी भी बताये जाते हैं तथा यह कहकर किसानों को भ्रमित किया जाता है कि जीएम तकनीक से तैयार बीज साधारण बीज से ज्यादा उत्पादकता प्रदान करते हैं।

2013 में बांग्लादेश सरकार द्वारा जीएम के नए बीज को व्यापारिक रिलीज की मंजूरी

हमें सम्पूर्ण मानवता के साथ कषि, परिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित रखना है तो भारत में जीएम फसलों को किसी भी प्रकार से कषि में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

– डॉ. रेखा भट्ट

के बाद बीटी बैंगन के जीनान्तरित संदूषण के खतरे को देखते हुए ब्राजील जैसे देश ने जीएम फसलों की वैधानिकता को चुनौती दी है। अमेरिकी अदालत में कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ जीएम फसलों से क्रॉस परागण द्वारा सामान्य प्रजाति की फसलों को हुए नुकसान के एक हजार से अधिक मामले लम्बित पड़े हैं,कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस सम्बन्ध में बहुराष्ट्रीय कम्पनी बायर क्रॉप साइंसेज ने स्वीकार किया है कि जीएम फसलों का सामान्य फसल में परागण रोकने के उसके सारे प्रयास विफल हो गये हैं।

अमेरिका की अदालत ने बायर क्रॉप साइंसेज कम्पनी को मिसुरी के दो किसानों को 20 लाख डॉलर का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया जिनकी धान की फसल प्रायोगिक परीक्षण के लिये लाई गई जीएम फसल की चपेट में आकर नष्ट हो गई।

अब तक 28 देशों में जीएम फसल की खेती होती है संकर विकास के प्रभाव से 30 प्रकार की सुपर खरपतवार फैल चुकी है जिन्हें सामान्य खरपतवारनाशक से नष्ट नहीं किया जा सकता । हालांकि अमेरिकी कृषि विभाग व वैज्ञानिक खेती में बड़े पैमाने पर होने वाले संकर विकार और सुपर खरपतवार के हमले की आशंका से इंकार करते रहे,इसके बावजूद फिलीपींस में 2011 में जीएम फसल के खेतों में परीक्षण पर इसलिये रोक लगा दी गई थी क्योंकि शोधकर्ताओं व सरकार ने इस हेतु आवश्यक सार्वजनिक विचार विमर्श नहीं किया था। यहां अस्वीकृत फसल उत्पादन के सुरक्षा परीक्षण मात्र तीन माह की अवधि के लिये किये गये थे।

मोन्सेंटो की प्रतिनिधि और 26 प्रतिशत हिस्सेदार (भारत में बीटी बैंगन के सुरक्षित बौद्धिक संपदा अधिकार सहित) कम्पनी महिको के बीटी बैंगन पर 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालय

अमेरिका की अदालत ने बायर क्रॉप साइंसेज कम्पनी को मिसुरी के दो किसानों को २० लाख डॉलर का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया, जिनकी धान की फसल प्रायोगिक परीक्षण के लिये लाई गई जीएम फसल की चपेट में आकर नष्ट हो गई।

द्वारा रोक लगा दी गई थी। जुलाई 2020 में हरियाणा में गैर कानूनी तरीके से महिको से भिन्न बीटी बैंगन को किसानों द्वारा उगाते पाया गया। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी बीटी बैगन की अवैध खेती जारी है। खेतों में बीटी बैंगन की परीक्षण परियोजना के अन्तर्गत महिको, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कम्पनी द्वारा किसानों को जीन संवर्धित बीज मुफ्त में बिना किसी रॉयल्टी के बांटे गये थे।

पर्यावरण मंत्रालय में जीएम फसलों की शीर्ष नियामक संस्था जैनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) द्वारा अगस्त 2020 में केन्द्र सरकार के भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित बैंगन की दो नयी ट्रांसजैनिक किस्मों को द्वितीय जमीनी परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। अपने निजी हितों व सुरक्षा पर मंडराते खतरों से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ किसान समूह सरकार में महिको के बीटी बैंगन तथा अन्य जीएम फसलों को नियामकीय प्रक्रिया के माध्यम से जारी करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र व दक्षिण के अन्य प्रान्तों में लाखों किसानों द्वारा बीटी कपास की खेती में नुकसान के नतीजों व हजारों किसानों की आत्महत्या के बावजूद वर्ष 2000 के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में भारत की पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा बीटी बैंगन, बीटी मक्का और जीएम सरसों की प्राकृतिक खेती की अनुमति दी गई जिसे स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के कारण ही रोका जाना संभव हो सका था।

पूरे विश्व में किसानों को महंगे कीटनाशक व खरपतवारनाशक रसायन तथा जीन संवर्धित बीजों को बेचकर भारी मुनाफा कमाने वाली सबसे बड़ी मोन्सेंटो कम्पनी कृषि शोध संस्थानो, विश्व विद्यालयों को भारी मात्रा में वित्तय सहायता प्रदान करती है तथा वैज्ञानिक तथ्यों को प्रकट नहीं करने देती। अमेरिका में 90 प्रतिशत जीएम खाद्य पदार्थ उपयोग में लिये जाते हैं किन्तु उस पर जीएम अंकित नहीं करके सूचना के अधिकार पर भी बहुराष्ट्रीय मोन्सेंटो कम्पनी का नियंत्रण है। ग्रीनपीस इण्डिया के लिये प्रो. सेरालिनी समूह जीएम खाद्यान्नों के उपयोग के तहत भारतीय बीटी बैंगन की किस्मों के जहरीले प्रभाव का अध्ययन कर चुके हैं और इनमें व्याप्त जहरीले तत्वों से प्रतिरोधक शक्ति में कमी, आन्तरिक संरचना को क्षति, श्वास तथा चर्म रोगों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत किया है।

खेती में विकास और नवाचार लाने, विश्व की खाद्य आपूर्ति की समस्या से निपटने, किसानों को आर्थिक लाभ देने के दावों के आधार पर मोन्सेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जीएम फसलों से उत्पन्न मानव स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को निर्विवाद बना देती है। यदि हमें सम्पूर्ण मानवता के साथ कृषि, परिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित रखना है तो भारत में जीएम फसलों को किसी भी प्रकार से कृषि में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। ❑❑

स्वदेशी जागरण मंच ने लक्ष्मी विलास बैंक के विलय पर समीक्षा की मांग की

स्वदेशी जागरण मंच ने लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक के साथ विलय को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को चिठ्ठी लिखी है। चिट्टी में स्वदेशी जागरण मंच ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से अपील की है कि लक्ष्मी विलास बैंक के विलय पर एक बार फिर से समीक्षा की जाएं। चिठ्ठी में स्वदेशी जागरण मंच ने लिखा है कि न सिर्फ बैंक ने विदेशी बैंक से विलय करने का निर्णय लिया है। बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रतिकूल कदम उठाया है। प्रस्तुत है रिजर्व बैंक के गर्वनर को लिखी चिट्ठी का मजमून –

सेवा में

श्री शक्तिकांत दास

गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

विषयः "लक्ष्मी विलास बैंक का विदेशी बैंक डीबीएस इंडिया लिमिटेड के साथ प्रस्तावित विलय के संदर्भ में"

विभिन्न मीडिया चैनल और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से ज्ञात हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंक डीबीएस (प्राचीन नाम डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर) के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक उपक्रम डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ आर्थिक रूप से भंवर में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक का विलय करने का संकल्प लिया है। हालांकि स्वदेशी जागरण मंच लक्ष्मी विलास बैंक में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेक इरादों की सराहना करता है, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किए बिना भी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। विलय का मौजूदा प्रस्ताव पारदर्शी नहीं है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक की अब तक की स्थापित मान्यताओं को दरकिनार करता हुआ दिखाई देता है। विदेशी बैंक के साथ विलय का यह प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक की अब तक की साफ–सुथरी छवि पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। प्रथम दृष्टया लगता है कि मामले में कोई गड़बड़झाला है।

हम निम्नलिखित कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए यह कहना चाहते हैं कि विलय के इस प्रस्तावित प्रकरण पर रिजर्व बैंक को फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है।

1. रिजर्व बैंक की ओर से प्रस्ताव है कि विदेशी बैंक डीबीएस इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का पूर्ण रूप से विलय किया जाएगा। इस प्रस्ताव से लक्ष्मी विलास बैंक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहा गया है कि डीबीएस इंडिया लिमिटेड जीरो भुगतान कर लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण करेगा और बदले में परेशान ऋणों से होने वाले नुकसानों को शामिल करते हुए "जहां है, जैसे है" के आधार पर अधिग्रहित करेगा। इस अधिग्रहण से लक्ष्मी विलास बैंक की 563 शाखाओं, 1000 एटीए बूथों के साथ–साथ लगभग 20 लाख ग्राहकों तक विदेशी बैंक डीवीएस की पहुंच हो जाएगी। यह स्पष्ट रूप से विदेशी बैंकों के लिए भारत में शाखा विस्तार को लेकर रिजर्व बैंक के खुद के कानूनों का उल्लंघन कर भारतीय बाजार में एक विदेशी बैंकिंग इकाई के लिए पिछला दरवाजा खोलने जैसा है। आरबीआई को मालूम है कि लक्ष्मी विलास बैंक का शाखा नेटवर्क देश के सभी विदेशी नेटवर्कों से बड़ा है।

आज के समय में जबकि नुकसान उठाने वाली उपक्रमों का संचालन प्राप्त करने के लिए और उसके ग्राहकों, उसके भौतिक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए जहां भारी मात्रा में धन का आदान–प्रदान होता है। यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के मौजूदा मूल्यों की अनदेखी करते हुए एक विदेशी बैंक को सब कुछ मुफ्त में देने की घोषणा कर दी है। क्या रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के नेटवर्क के मूल्य का कोई मूल्यांकन किया है? अगर मूल्यांकन किया है तो उस मूल्यांकन को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लाखों हितधारकों के हित शामिल हैं।

2. लक्ष्मी विलास बैंक को अपने में मिला लेने के लिए बीबीएस को अपनी भारतीय सहायक कंपनी डीबीएस इंडिया लिमिटेड में 2500 करोड़ रुपए की पूंजी बढ़ाने की बात कही गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूंजी डीबीएस इंडिया में आ रही है न कि आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक में। टीवीएस अधिग्रहण के लिए कोई कीमत नहीं चुका रहा है। यह छोटी सी सहायता राशि अपनी खुद की सहायक कंपनी में डाल रहा है और बदले में लक्ष्मी विलास बैंक में 2 हजार करोड रुपए से अधिक की जमा धनराशि तक अपनी पहुंच प्राप्त कर रहा है।

3. लक्ष्मी विलास बैंक में 10 प्रतिशत से कुछ अधिक का शुद्ध एनपीए बताया गया है। 16 हजार करोड रुपए के एडवांस के बेस पर 20 नवंबर 2020 तक इसमें शामिल रहा है। लगभग 16 सौ करोड़ रूपए है, 25 प्रतिशत के सकल

एनपीए पर शामिल राज्य लगभग 4000 करोड रुपए हो सकती है। आमतौर पर लक्ष्मी विलास बैंक सुरक्षा की अच्छी राशि के आधार पर उधारकर्ताओं को उधार देता था। यह सुरक्षा और आर्थिक संपत भूमि भवन वित्तीय संपत + वर्तमान संपत और उधार लेने वाली संस्थाओं के प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के रूप में हो सकती है। सबको मालूम है कि बैंक को प्रदान की गई सुरक्षा राशि तुरंत प्राप्त नहीं हो सकती है। वसूली की प्रक्रिया में समय लगता है। बैंक को भी अच्छी तरह पता है कि सुरक्षा गारंटी के कारण ठीक मात्रा में ऋणों की वसूली होती रही है। लक्ष्मी विलास बैंक के मामले में रिजर्व बैंक का आकलन क्या है, यह अभी तक पारदर्शी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के हस्तक्षेप तथा डीबीएस के साथ विलय की घोषणा के पहले लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड को, बैंक के एनपीए की एक बड़े हिस्से के वसूली का पूरा भरोसा था। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में यह बात जरूर उजागर होगी कि ऋण वसूली के जरिए पटरी पर लौट रहे लक्ष्मी विलास बैंक के हितों की अनदेखी कर विदेशी बैंक डीबीएस के पक्ष में विलय का प्रस्ताव लाया गया।

4. लक्ष्मी विलास बैंक में आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक में पर्याप्त तरलता है और जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हैं। किसी भी वाणिज्य रुग्ण इकाई के हस्तांतरण के मामले में पारदर्शी तरीका अपनाते हुए इच्छुक पक्षों से निमंत्रण मूल्य पर बोली मानी जानी चाहिए तथा उसका व्यापक मूल्यांकन कर अधिकतम मूल्य लगाने वाले के पक्ष में अंतिम निर्णय होना चाहिए। आरबीआई द्वारा इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया क्यों?

5. वर्ष 1961 से भारत में अब तक 81 बैंकों के विलय हुए हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद 34 निजी क्षेत्रों के बैंकों का विलय हुआ है। इसमें 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा 8 अन्य निजी बैंक शामिल है। पिछले 7 सालों में एक भी भारतीय बैंक को विदेशी बैंक की ईकाई के साथ विलय करने का मामला नहीं है। लक्ष्मी विलास बैंक को विदेशी बैंक में क्यों मिलाया जा रहा है? क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की कोई नई नीति है? यदि ऐसा है, तो इस पर बहस की जानी चाहिए और इसके निहितार्थ हो कि राष्ट्रीय हित में पूरी तरह जांच होनी चाहिए। आखिर पारदर्शिता के बिना आरबीआई की मौलिक नीति क्यों बदल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बिल्कुल विपरीत है।

6. जब किसी भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में विलय होता है तो उसे तुरंत विदेशी बैंक के जोखिमों से अवगत कराया जाता है। विदेशी बैंक की नीतियां और शेयर धारक के हित उस बैंक के निर्णय लेने के लिए प्रमुख मापदंड बन जाते हैं। भविष्य में टीवीएस का किसी अन्य संस्था में विलय हो जाता है या उसे घरेलू बाजार में बेच दिया जाता है, तब क्या होगा? विदेशों में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाओं में यह नियमित कार्यकलाप होते हैं। यहां तक कि डीवीएस के प्रबंधन भी यह दावा नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा? ऐसे में यदि विदेशी बैंक विफल हो जाता है और भारतीय जमाकर्ता प्रभावित होते हैं तो क्या आरबीआई जमाकर्ताओं के बचाव का जिम्मा लेगी? रिजर्व बैंक को इन अज्ञात जोखिमों के लिए भारतीय जनता को खबर क्यों नहीं करना चाहिए?

7. हाल में ही यस बैंक के मामले में आरबीआई ने एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और अन्य से 12000 करोड रुपए के योगदान से पुनरपूंजीकरण कर मामले को हल किया है। इस निवेश का मूल्य पहले से अब बढ़ गया है। इसी तर्ज पर आरबीआई भारतीय स्रोतों से कुछ हजार करोड़ रुपए जुटाकर लक्ष्मी विलास बैंक को पुनर्पूजीकृत कर सकता है और उसे स्वस्थ कार्यप्रणाली में वापस लाया जा सकता है। ऐसे में रिजर्व बैंक विदेशी पूंजी का पक्षधर क्यों है? जबकि अनुभव है कि भारतीय पूंजी निश्चित रूप से मूल्य में वृद्धि करेगी।

8. लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना सन 1926 में हुई थी। लगभग 95 साल का पुराना इतिहास है कि बैंक में सामुदायिक संपर्क की एक अनूठी संस्कृति शामिल है। हितधारकों के आपसी मेलजोल की अनेकों दास्ताने हैं। ऐसे में क्या भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भारतीय बैंक के साथ विलय की पड़ताल नहीं करनी चाहिए। दक्षिण का इंडियन बैंक या निजी क्षेत्र का करूर व्यस्य बैंक आज के विकल्प मौके पर मौजूद हैं। एनबीएफसी भी मजबूती से खड़ा है। भारत में जब अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं तो रिजर्व बैंक अपनी स्थापित मान्यताओं को दरकिनार कर लक्ष्मी विलास बैंक को विदेशी इकाई के पक्ष में करने की हड़बड़ी में आखिर क्यों है?

मान्यवर, हम भारतीय रिजर्व बैंक का सम्मान करते हैं, परंतु उक्त मामले में और अधिक पारदर्शी होने और डीबीएस के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के प्रस्तावित विलय की फिर से समीक्षा जांच करने का अनुरोध करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस मसले पर पूरी तरह से एक भारतीय समाधान निकालेगा, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा और लक्ष्मी विलास बैंक को उसके पुराने गौरव और उसके मजबूत सामुदायिक संस्था के रूप में वापस लाएगा, जो वह हमेशा से रही है।

सादर।

डॉ. अश्वनी महाजन, *अखिल भारतीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच*

एलवीबी और डीबीएस के विलय प्रस्ताव पर मंच ने भी उठाए सवाल

निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) का सिंगापुर मूल के भारत स्थित डीबीएस बैंक में विलय के प्रस्ताव पर स्वदेशी जागरण मंच ने भी सवाल उठाया है। इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास को मंच ने एक पत्र भी लिखा है। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ अश्ध्वनी महाजन ने रिजर्व बैंक गवर्नर से डीबीएस में एलवीबी के प्रस्तावित विलय के प्रस्ताव की फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।

स्वदेशी जागरण मंच ने विभिन्न समाचार पत्रों में दोनों बैंकों के विलय के प्रस्ताव पर प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि आरबीआई का एलवीबी के जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम सही है। लेकिन मंच का मानना है कि राष्ट्रीय हितों से समझौते किए बिना भी ये कदम उठाया सकता है। मंच का कहना है कि एलवीबी का डीबीएस में विलय का ये प्रस्ताव पारदर्शी नहीं है, जो आरबीआई की अब तक की अपनी प्रथाओं को दरकिनार करता हुआ दिख रहा है। महाजन का कहना है कि डीबीएस बैंक एक विदेशी संस्था है, जिसके साथ एलवीबी का एकमुश्त विलय करने से 563 शाखाओं, 1000 एटीएम और 2 मिलियन ग्राहकों तक पहुंच रखने वाले इस बैंक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई के इस कदम से एक विदेशी बैंकिंग इकाई का पिछले दरवाजे से दाखिला हो जाएगा। क्योंकि, एलवीबी का जितना बड़ा नेटवर्क है, वो संयुक्त रूप से सभी विदेशी बैंकों के शाखा और नेटवर्क से बड़ा है।

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि आरबीआई को डीबीएस बैंक में विलय से पहले एलवीबी के नेटवर्क और सभी हितधारकों के हित का मूल्यांकन करना चाहिए। मंच का कहना है कि एलवीबी को हासिल करने के लिए डीबीएस अपनी भारतीय सहायक कंपनी में 2,500 करोड़ रुपये की पूंजी लगा रहा है, जबकि अधिग्रहण के लिए कोई कीमत नहीं चुका रहा है। लेकिन, डीबीएस को एलवीबी के जमाकर्ताओं तक पहुंच होने से 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायादा होगा।

महाजन ने कहा कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के लिए टी.एन. मनोहरन को प्रशासक नियुक्त किया है, जो कि रिकॉर्ड में है कि बैंक सुरक्षित है। लेकिन, किसी भी संकटग्रस्त वाणिज्यिक इकाई का एक व्यापक मूल्यांकन के साथ पारदर्शी और इच्छुक पक्षों से बोली लगवाने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि साल 1961 से भारत में 81 बैंकों का विलय हआ हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 34 निजी क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ, जिसमें 26 पीएसबी के साथ 8 निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ। लेकिन, 60 साल में एक भी भारतीय बैंक को विदेशी इकाई के साथ विलय करने का एक भी मामला सामने नहीं है। ऐसे में एलवीबी को अब विदेशी बैंक में क्यों मिलाया जा रहा है। मंच का कहना है कि ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के विपरीत है।

उन्होंने यस बैंक का हवाला देते हुए कहा कि जब आरबीआई ने एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और अन्य से 12,000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ पुनर्पूजीकरण के मामले को हल किया तो ऐसे में एलवीबी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक 1926 से लंबे समय तक चलने वाला संस्थान है। इसमें गहरे सामुदायिक संपर्क और एक अनूठी संस्कृति है। इसलिए हम हम आरबीआई को उच्च सम्मान में रखते हुए इस मामले में पारदर्शी होने और डीबीएस में प्रस्तावित विलय के प्रस्ताव की फिर से जांच करने का अनुरोध करते हैं।

उल्लेख्नीय है कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक में विलय का बैंक के शेयरधारकों, आम नागरिकों और कई बैंकिंग यूनियन ने भी सवाल उठाए हैं। इन सभी का मानना है कि आरबीआई ने जिस तरह से डीबीएस इंडिया को एलवीबी मुफ्त में देने का फैसला किया है, उसमें कई झोल हो सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक इंप्लाईज एसोसिएशन (एआइबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने भी कहा कि आरबीआई के नेतृत्व में एलवीबी के डीबीएस इंडिया में विलय की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ झोल नजर आ रहा है।

https://www.sanjeevnitoday.com/national/swadeshi-jagran-manch-also-raised-questions-on-the-merger-proposal-of-lvb-and-dbs/20201124/416496

ठेंगड़ी जी के जन्मशताब्दी समारोह का आयोजन

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी जी जन्मशताब्दी समापन समारोह का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच, काशी महानगर द्वारा आयोजित किया गया। समारोह में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रो. कौशल किशोर मिश्र, क्षेत्रीय संगठक श्री अजय कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही।

उक्त अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय संगठक ने कहा कि आज आवश्यकता है श्री राम और स्वदेशी की, जो राम–राज्य की स्थापना के और सामान्य मानविकी के संपूर्ण सुविधाओं के लिए उपयुक्त है। सह संगठक श्री सतीश कुमार ने दत्तोपंत जी के ऋषि चिंतन को आज राष्ट्र के सामाजिक

आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के लिए आवश्यक बताया। प्रो. कौशल किशोर मिश्र ने दत्तोपंत जी को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल करने और छात्रों को उनके वैचारिकी दर्शन के लिए आवश्यक बताया। क्षेत्रीय संगठक श्री अजय कुमार ने राष्ट्रऋषि दत्तोपंत जी ठेगडी के गांव आधारित विकास और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, के दर्शन को विकास का उपयुक्त मार्ग बताया। प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ अवनीन्द्र कुमार ने देश को आर्थिक संकट से उबारने में दत्तोपंत जी के हिन्दू अर्थशास्त्र के सिद्धांत को अमल में लाने और अंत्योदय के लिए आवश्यक बताया।

उक्त अवसर पर महानगर संयोजक सत्येन्द्र जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। काफी संख्या मे स्वदेशी आन्दोलनधर्मी बंधुओं भगनियों की उपस्थिति रही।

http://www.jantakiawaz.org/local/uttar-pradesh/news-638156

जीएम फसल से तैयार उत्पादों के आयात पर लगे रोकः एसजेएम

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से जीएम फसल से निर्मित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। एफएसएसएआई अध्यक्ष को एक पत्र में एसजेएम के सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि गोपनीय तरीके से देश में जीएम खाद्य उत्पादों को लाना गैर कानूनी है और यह राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है ।

महाजन ने कहा कि चूंकि देश में जीएम आधारित खाद्य फसलों को उगाने की अनुमति नहीं है इसलिए इन फैसलों से तैयार खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के खाद्य पदार्थ का आयात किया जाता है तो सुरक्षा को लेकर विभिन्न एजेंसियों द्वारा व्यापक आकलन के बाद इसकी अनुमति होनी चाहिए। महाजन ने कहा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति (जीईएसी) के साथ ही इसमें एफएसएसएआई को भी शामिल करना चाहिए ।

उन्होंने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे कई निर्यातक देश भी दलील दे रहे हैं कि वैश्विक बाजार में बेचे जा रहे जीएम खाद्य उत्पाद पारंपरिक उत्पादों की तरह ही सुरक्षित हैं लेकिन एफएसएसएआई को ऐसे उत्पादों को अनुमति नहीं देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एसजेएम का मानना है कि जीएम सोयाबीन तेल और जीएम कनोला तेल के लिए पूर्व में जीईएसी द्वारा दी गयी अनुमति को भी नियामकीय संस्था को वापस लेना चाहिए।

https://www.lokmatnews.in/india/need-to-ban-import-of-processed-food-products-prepared-from-gm-crop-sjm-b421/

दत्तोपंत ठेंगड़ी का सपना साकार होने की ओरः कश्मीरी लाल

विदेशी सामान के बहिष्कार की भावना शहर, देहात के मोहल्लों और गांवों में जागृत होने लगी है। जिस दिन हम स्वदेश निर्मित सामानों पर निर्भर हो जाएंगे, उस दिन देश में बेरोजगारी दम तोड़ देगी। यह बातें स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन श्री कश्मीरी लाल ने कही। वह जलनिगम रोड रौजा स्थित लहुरी काशी पैलैस (गाजीपुर) में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेगड़ी का स्वदेशी के प्रति किया गया संघर्ष और सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार होने की ओर अग्रसर है। कहा कि दूध दही थाली में, पेप्सी कोला नाली में तथा चीन का माल – ना भाई ना। विदेशी कंपनियां अपने उत्पाद के माध्यम से देश का धन अपने देश में ले जा रही हैं, इसे हमें रोकना है। दत्तोपंत के व्यक्तित्व पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ तथा स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के साथ–साथ ऐसे ही लगभग 15 विशाल संगठनों के सृजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्षेत्रीय संगठन अजय कुमार ने कहा कि भारत की सीमा में जो भी ताकतें विदेशी आर्थिक साम्राज्य फैलाने की ओर कदम बढ़ाने का काम करती हैं, उसका पुरजोर विरोध करके हमें उसे रोकने का काम करना है। इसमें बहुत बड़ी सफलता भी इस बार के दीपावली त्यौहार पर देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बिहारी राय ने जनपद की ओर से भरोसा और विश्वास देते हुए कहा कि गाजीपुर सदैव से राष्ट्रवाद के प्रति अग्रणी भूमिका का निष्ठा से निर्वहन किया है और आगे भी अग्रसर रहकर इस आंदोलन को सहयोग प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्ज्वलित करके हुआ। अध्यक्षता जिला संयोजक नरेंद्र

नाथ सिंह ने तथा संचालन डा. व्यासमुनि राय ने किया। इसमें मयंक शेखर उपाध्याय, श्यामराज तिवारी, डा. धनंजय सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, सतीश जी, सर्वजीत सिंह, मनोज सिंह, जितेंद्र शर्मा, अभिनव सिंह, गोरखनाथ सिंह सहित आदि अन्य लोग उपस्थित थे।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ghazipur-dattopant-thengdi-dream-to-come-true-kishori-lal-21068486.html

स्वदेशी जागरण मंच के स्थापना दिवस पर स्वदेशी अपनाने का आह्वान

स्वदेशी जागरण मंच (बागपत) ने श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने आयोजित यज्ञ में आहुति देकर पर्यावरण की शुद्धि की कामना की।

यज्ञ के बाद जिला संयोजक संदीप बड़ौली ने कहा कि 22 नवंबर 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना दत्तोपंत ठेंगडी ने की थी। मंच देश में पर्यावरण, परिवार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। दत्तोपंत ठेंगडी ने अनेकों संगठन खड़े किए, लेकिन

बाहरी देशों में व्यापार से देश की आर्थिक स्थिति को होने वाले नुकसान के बारे में जब उन्होंने विचार किया, तो उन्होंने इसका विरोध किया और स्वदेशी जागरण मंच का गठन कर लोगों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए जागृत किया। जिला सह संयोजक नितिन गोस्वामी, जिला सह संयोजक मनोज तोमर, जिला कोष प्रमुख वरुण बावली, जिला सह प्रचार प्रमुख विक्रांत कुमार, राजकुमार, विकास शर्मा, रकम सोलंकी, अजय नरवाल, राधेश्याम फौजी, अर्जुन भागीरथ आदि मौजूद रहे। ❑❑

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-indian-goods-prefer-21089257.html

श्रद्धांजलि

श्री भोलानाथ विज

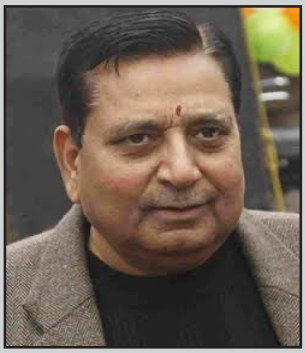

स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व अखिल भारतीय कोष प्रमुख, स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन के पूर्व प्रबंध न्यासी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महामंत्री एवं स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन की प्रेरणा से गरीब महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित 'चौपाल' के संस्थापक एवं संचालक श्री भोलानाथ विज, 17 नवंबर, 2020 को कोरोना से संघर्ष करते हुए इस संसार को छोड़, स्वर्ग की यात्रा पर चले गए।

भोलानाथ जी अत्यंत मृदुभाषी, जीवनपर्यन्त संगठन के लिए समर्पित, अत्यंत कुशल संगठक एवं विचार परिवार के सभी कार्यकर्त्ताओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। पिछले लगभग एक दशक से वे चौपाल को एक मिशन के नाते नेतृत्व प्रदान कर रहे थे।

स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को ऋण देने वाले प्रकल्प चौपाल के द्वारा लगभग 50,000 गरीब महिलाओं को स्वरोजगार से युक्त किया जा सका। इसके अतिरिक्त चौपाल के माध्यम से ई–रिक्शा प्रकल्प के द्वारा भी सैकड़ों युवकों को ई–रिक्शा उपलब्ध कराते हुए उनके स्वरोजगार की व्यवस्था की गई। इस यात्रा में मृदुभाषी और ध्येयनिष्ठ भोलानाथ जी ने आम समाज और राजनीतिक क्षेत्र से भी कई हस्तियों को जोड़कर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस यात्रा में जहां उन्हें माननीय मदन दास देवी जी, प्रेमजी गोयल, सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अतिवरिष्ठ अधिकारियों का आर्शीवाद भी मिला, तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्व. श्री केदारनाथ साहनी, पंजाब केसरी के पूर्व संपादक एवं सांसद स्व. श्री अश्विनी कुमार और उनकी पत्नी श्रीमति किरण चोपड़ा एवं बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हुआ। अपने आरंभिक दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता एवं एक कुशल संगठक के नाते उन्हें महान समाजवादी नेता स्व. श्री राममनोहर लोहिया का सानिध्य भी प्राप्त हुआ।

स्वदेशी जागरण मंच की विकास यात्रा में उनका भरपूर योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। स्वदेशी जागरण मंच ही नहीं समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्यरत हजारों कार्यकर्ता उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। उनके आकस्मिक देहावसान से स्वदेशी परिवार को हुई क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं। स्वदेशी पत्रिका का संपादक मंडल श्री भोलानाथ जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजली प्रस्तुत करता है। ❑

स्वदेशी गतिविधियां

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष

समापन कार्यक्रम

सचित्र झलक

औरंगाबाद (संभाजी नगर)

सी.बी.यू, भिवानी, हरियाणा

ग्वालियर, मध्य भारत

सिरोही, जोधपुर

कंझावला, दिल्ली

कठुआ, जम्मू

नागपूर, विदर्भ

बागपत, प. उ.प्र.

जोधपुर

रेईसी, जम्मू

शाहजहांपुर, प. उ.प्र.

शजापुर, मालवा

मेरठ, प. उ.प्र.

उज्जैन, मालवा

शामली, प. उ.प्र.

अलीगढ़, प.उ.प्र.

इंदौर, मालवा

जम्मू

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15–16 नवंबर 2020 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष

समापन कार्यक्रम

सचित्र झलक

अलीगढ़, यूपी

बटाला, पंजाब

ब्रह्मपुर, उड़ीसा

भिवानी, हरियाणा

भोपाल, मध्य भारत

कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

गोंदिया, विदर्भ

जम्मू

केशवपुरम्, दिल्ली

मुरादाबाद, प. उत्तर प्रदेश

नीमच, मालवा

रुड़की, उत्तराखंड

सूरत, गुजरात

जोधपुर

देवास, मालवा

झबुआ, जम्मू

फरीदाबाद, हरियाणा

ग्वालियर, मध्य भारत

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती